

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी, 2017-माघ 14, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पहले समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सिम्पल गोयल अंकित है. विवाहोपरांत मुझे अपर्णा संत पत्नी श्री शैलभ संत के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है. भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में अपर्णा संत पढ़ा जाये एवं इसी नाम से मुझे जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सिम्पल गोयल)

(638-बी.)

नया नाम :

(अपर्णा संत)

जिन्सी बाड़ा, ग्वालियर.

उप-नाम परिवर्तन

हर आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम सपना गोयल पुत्री श्री अशोक गोयल था तथा विवाह के उपरांत मेरा नाम श्रीमती सपना गोयलर पत्नी श्री पवन कुमार गोयलर पुत्री श्री अशोक गोयल हो गया है वर्तमान में मुझे श्रीमती सपना गोयल पुत्री श्री अशोक गोयल के स्थान पर श्रीमती सपना गोयलर पत्नी श्री पवन कुमार गोयलर पुत्री श्री अशोक गोयल के नाम से जाना जावे, पढ़ा जावे, पुकारा जावे, गोयलर मेरी कॉस्ट होकर मैं, अग्रवाल वर्ग की हूँ इस कारण दस्तावेजात में गोयलर व अग्रवाल उल्लेखित है इस हेतु यह विज्ञप्ति प्रसारित की जा रही है.

पुराना नाम :

(सपना गोयल)

(641-बी.)

नया नाम :

(सपना गोयलर)

पत्नी श्री पवन कुमार गोयलर,

पुत्री श्री अशोक गोयल,

निवासी-शेख की बगिया, नई सड़क,

लशकर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित हो कि शादी पूर्व मेरा नाम रितुमिता शिन्दे था विवाहोपरान्त (विवाह दिनांक 09-03-2008) मेरा नाम रूची गौड पत्नी श्री विवेक गौड हो गया है. भविष्य में मुझे रूचि गौड के नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(रितुमिता शिन्दे)

(642-बी.)

नया नाम :
(रूचि गौड)
पत्नी विवेक गौड,

निवासी-काल्पी ब्रिज, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम कुमारी सपना जोशी था. मेरा विवाह होने के उपरांत मेरा नाम श्रीमती प्रिया जेऊरकर पति श्री प्रसन्नदीप जेऊरकर, निवासी लक्कडखाना पुल के पास, लशकर, ग्वालियर हो गया है. वर्तमान में अब मुझे श्रीमती प्रिया जेऊरकर पति प्रसन्नदीप जेऊरकर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(सपना जोशी)

(643-बी.)

नया नाम :
(प्रिया जेऊरकर)
पत्नी श्री प्रसन्नदीप जेऊरकर,
निवासी-लक्कडखाना पुल के पास,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).
द्वारा-मनोज जेऊरकर
(अभिभाषक).

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम कु. रेखा फपुनकर था. विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती अपेक्षा पिसोलकर पति अविनाश पिसोलकर हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(रेखा फपुनकर)

(644-बी.)

नया नाम :
(अपेक्षा पिसोलकर)
63, सुतार गली, जेल रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पासपोर्ट में मेरा नाम शमीम उद्दीन कमर उद्दीन (SHAMIM UDDIN KAMAR UDDIN) है, जबकि अन्य सभी दस्तावेजों एवं पहचान-पत्रों में मेरा नाम उपनाम सहित शमीम उद्दीन एवं पिता का नाम कमर उद्दीन है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना और पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(शमीम उद्दीन कमर उद्दीन)

(645-बी.)

नया नाम :
(शमीम उद्दीन)
पता-मकान नम्बर 32, मस्जिद के पास,
मुक्कदस नगर, बोगदा पुल,
भोपाल-462023 (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अशोक कुमार सोनी पिता श्री शंभुलाल सोनी था एवं अब मेरे द्वारा अपना नाम पूर्व में अपने धर्म परिवर्तन सहित गुलाम मोईनुद्दीन खान पिता शंभुलाल सोनी रख लिया है. इस संदर्भ में मेरे द्वारा एक शपथ-पत्र भी विधिक रूप से निष्पादित करवाया गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाएगा. सो सूचित हो.

पुराना नाम :
(अशोक कुमार सोनी)

(646-बी.)

नया नाम :
(गुलाम मोईनुद्दीन खान)
71, महावीर मार्ग, धार (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

This is to inform publicly that, I Manoj Kumar S/o Suresh Prasad Singh resident of 17/23, Dutt Duplex, Tilhari, Jabalpur, have changed my name to Abhimanuj, that should be recorded in my Service, Government and other Concern documents in future.

Old Name:
(MANOJ KUMAR)

(647-B.)

New Name :
(ABHIMANOJ)

CHANGE OF NAME

This is to inform publicly that, I Seema Sharma D/o Onkar Nath Singh, resident of 17/23, Dutt Duplex, Tilhari, Jabalpur, have changed my name to Seema Abhimanoj, that should be recorded in my Service, Government and other Concern documents in future.

Old Name:

(SEEMA SHARMA)

(648-B.)

New Name :

(SEEMA ABHIMANOJ)**CHANGE OF NAME**

I, hereby state, clarify and declare that 'Yogesh Dubey' and Yogendra Dubey are my names and I am known by these two names, interchangeably. I also state and declare that wherever the name 'Yogesh Dubey' is mentioned, the same can be read and understood as 'Yogendra Dubey' and vice-versa wherever the name 'Yogendra Dubey' is mentioned, the same can be read and understood as 'Yogesh Dubey'.

(YOGENDRA)S/o Late Shri Damodarji Dubey,
148-B, Saibagh Colony, "Limbodi"

Khandwa Road, Indore-452017 (M.P.)

(649-B.)

CHANGE OF NAME

I, Junaid Mohammed Baghdadi here by declare that I have change my name as Junaid Bagdadi So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:

(JUNAID MOHAMMED BAGDADI)

(662-B.)

New Name :

(JUNAID BAGDADI)

Address-146, Jawahar Road, Dhar (M.P.)

NOTICE**(U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)**

Notice is hereby given that the firms "M/s MOHANLAL & CO." of Bhopal vide Registration No. 119/1999/2000, Dated 28-02-2000 undergone the following changes:-

1. That the registered office of the firm is shifted at Star Arcade, 165 A-166, Zone-1, M.P. Nagar, Bhopal w. e. f. 01-12-2016.

"M/s MOHANLAL & CO.",**SURAJ GANGWANI,****(Partner)**

Star Arcade, 165 A-166, Zone-1,

M.P. Nagar, Bhopal.

(639-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सी. पी. डेवलपर्स दिनांक 09-06-2010 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/01/00082/10, के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिसे कि पूर्व में दिनांक 18-10-2010, दिनांक 04-02-2011, दिनांक 19-08-2011 तथा दिनांक 22-06-2012 को संशोधित किया जा चुका है। अब पुनः संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 04-06-2016 के द्वारा (1) श्री नवीन शिवहरे पुत्र श्री चिरंजीलाल शिवहरे, आयु-34 वर्ष, निवासी-एम-40, गांधी नगर, (2) श्री प्रवीन शिवहरे पुत्र श्री चिरंजीलाल शिवहरे, आयु-40 वर्ष, निवासी-एम-40, गांधी नगर, ग्वालियर, (3) श्री आदित्य जाजू पुत्र डॉ. पुरुषोत्तम जाजू, आयु-28 वर्ष, निवासी-रॉयल हॉस्पिटल कम्पू, ग्वालियर स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर फर्म से हट रहे हैं। नये साझेदार के रूप में (1) श्री अरविन्द अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल, आयु-40 वर्ष, निवासी-हॉस्पिटल रोड, लश्कर, ग्वालियर. (2) श्री जयदीप अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल, आयु-35 वर्ष, निवासी-नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर (3) डॉ. पुरुषोत्तम जाजू पुत्र स्व. श्री हरगोविन्द जाजू, आयु-60 वर्ष, निवासी-रॉयल हॉस्पिटल कम्पू, ग्वालियर सम्मिलित हुये हैं। इस तरह संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 04-06-2016 द्वारा उपरोक्त फर्म में वर्तमान में निम्नलिखित साझेदार हैं। (1) श्री महेश भारद्वाज पुत्र श्री मुनालाल भारद्वाज, आयु-49 वर्ष, निवासी-28, ललितपुर कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर. (2) श्री रोहित वाधवा पुत्र श्री पी. सी. वाधवा, आयु-40 वर्ष, निवासी-कृष्णकुंज, गांधी रोड, ग्वालियर. (3) श्री अरविन्द अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल, आयु-40 वर्ष,

निवासी-हॉस्पिटल रोड, लश्कर, ग्वालियर. (4) श्री जयदीप अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल, आयु-35 वर्ष, निवासी-नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर. (5) डॉ. पुरुषोत्तम जाजू पुत्र स्व. श्री हरगोविन्द जाजू, आयु-60 वर्ष, निवासी-रॉयल हॉस्पिटल कम्पू, ग्वालियर तथा फर्म का पंजीकृत पता-“कृष्णकुंज गाँधी रोड, ग्वालियर” यथावत् रहेगा.

हर आम खास व्यक्ति को सूचित हो.

मैसर्स सी. पी. डेवलपर्स,
पुरुषोत्तम जाजू, महेश भारद्वाज, रोहित वाधवा,
अरविन्द अग्रवाल, जयदीप अग्रवाल
(भागीदार)

कृष्णकुंज, गाँधी रोड, ग्वालियर.

(640-बी.)

जाहिर सूचना

भागीदारी अधिनियम धारा-72 के तहत

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स राजानी कंस्ट्रक्शन कंपनी, भोपाल के भागीदार श्री विद्याराम राजानी आत्मज स्व. श्री ढोलूमल राजानी का स्वर्गवास दिनांक 15-08-2016 को हो गया है एवं श्रीमती निर्मला पी. राजानी पत्नी डॉ. परमानंद राजानी, भागीदारी से दिनांक 15-08-2016 से अलग हो गई हैं. इनका इस भागीदारी फर्म से कोई संबंध नहीं रहा है.

मेसर्स राजानी कंस्ट्रक्शन कंपनी,
पुरुषोत्तम राजानी,
(भागीदार)

भोपाल (म.प्र.).

(650-बी.)

आम सूचना

फर्म मै. उदयवीर सिंह भदौरिया, नवादा वाग, भिण्ड के भागीदार विजय दैपुरिया पुत्र श्री दधिराम दैपुरिया व उमेश सिंह भदौरिया पुत्र श्री यदुनाथ सिंह भदौरिया दोनों भागीदारों ने अपनी स्वेच्छा से भागीदारी समाप्त कर दी है. अतः दोनों का फर्म से कोई लेना-देना नहीं है.

मै. उदयवीर सिंह भदौरिया
प्रवीण सिंह भदौरिया, (भागीदार)

नवादा वाग, भिण्ड (म.प्र.).

(651-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शुभ कंस्ट्रक्शन, पता-चित्तरूपा स्टूडियो, एन.एच. 7, समान तिराहा, रीवा, जिला रीवा (म.प्र.) का गठन दिनांक 25-08-2009 को प्रथम भागिता विलेख के माध्यम से किया गया था. उक्त फर्म की संरचना में दिनांक 25-12-2010 को फर्म के नाम में परिवर्तन करते हुये तृतीय भागिता विलेख के द्वारा मेसर्स शुभ कंस्ट्रक्शन कंपनी किया गया है. अब मेसर्स शुभ कंस्ट्रक्शन को मेसर्स शुभ कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जानी जायेगी एवं शुभ कंस्ट्रक्शन कंपनी में निम्न भागीदार क्रमशः पार्टनर नं. 03 श्री प्रेमलाल पाण्डेय, पिता चातेश्वर प्रसाद पाण्डेय, पता-आजाद नगर, उर्रहट, रीवा म.प्र. दिनांक 25-12-2010 से फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं जिनका फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना शेष नहीं है एवं फर्म के पार्टनर नं. 01 श्री विनय कुमार तिवारी एवं पार्टनर नं. 02 श्रीमती सीमा तिवारी यथावत रहेंगे. अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो, तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

मेसर्स शुभ कंस्ट्रक्शन कंपनी,
विनय कुमार तिवारी,
(पार्टनर)

चित्तरूपा स्टूडियो, एन.एच. 7, समान तिराहा,
जिला रीवा (म.प्र.)

(652-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. पंचमणी एसोशिएट के नाम से एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्र. 04/17/01/00268/11, दिनांक 15-11-2011 है.

इस फर्म से दिनांक 31-03-2016 को एक भागीदार (1) श्री प्रकाश साहू पिता श्री लखनलाल साहू, निवासी-पुराना छापाखाना, अष्टभुजा मंदिर के पास, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) बाहर हो रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में तीन भागीदार दिनांक 01-04-2016 से (1) श्री महेश कुमार पवार पिता स्व. श्री फगुलाल पवार, निवासी-मेहता कॉलोनी के पीछे, गुलाबरा, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), (2) श्रीमति शिखा चौकसे पति श्री जितेन्द्र चौकसे, निवासी-बसंत कॉलोनी, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (3) श्रीमति बबीता देशरिया पति श्री नन्दकुमार देशरिया, निवासी-शाक्ति नगर, गुलाबरा, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

शामिल हो रहे हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2016 से संशोधन उपरांत पाँच साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस चित्रकूट कॉम्प्लेक्स, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है।

सर्व-साधारण को सूचना हेतु जारी।

मे. पंचमणी एसोशिएट्स,
नन्दकुमार देशरिया,
(भागीदार).

(653-बी.)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. राजेश शंकरलाल चौकसे, पंजीयन क्रमांक 04/17/06/00027/09, दिनांक 03-06-2009 संतोषी माता वार्ड क्र. 25, पांडुर्ना, जिला छिन्दवाड़ा की रचना में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से परिवर्तन किया गया है। पूर्व पंजीयत फर्म वर्ष 15-02-2009 में भागीदार क्रमांक 01 से 05 तक थे, जो क्रमशः इस प्रकार हैं:-

भागीदार क्रमांक (1) श्री राजेश चौकसे पिता श्री शंकरलाल चौकसे, भागीदार क्र. (2) श्री उज्ज्वल चौहान पिता श्री दशरथ सिंह चौहान, भागीदार क्र. (3) श्री प्रवीन चौहान पिता श्री दशरथ सिंह चौहान, भागीदार क्र. (4) श्रीमती रेखा चौहान पति श्री उज्ज्वल चौहान, भागीदार क्र. (5) श्रीमती माधवी चौहान पति श्री प्रवीन चौहान शामिल थे।

फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से किया गया है जो इस प्रकार है-भागीदार क्रमांक (1) श्री राजेश चौकसे, भागीदार क्र. (2) श्री प्रवीन चौहान, भागीदार क्र. (3) श्रीमती रेखा चौहान, भागीदार क्र. (4) श्रीमती माधवी चौहान ने दिनांक 31-03-2015 से अपने आप को फर्म से पृथक् (withdraw) कर लिया है उनके स्थान पर दिनांक 01-04-2015 से निम्न भागीदार कार्यभार तथा व्यापार का संचालन करेंगे-

भागीदार क्रमांक (1) श्री उज्ज्वल चौहान पिता श्री दशरथ सिंह चौहान, भागीदार क्र. (2) श्री रंजीत शिवहरे पिता श्री रामलखन जी शिवहरे, भागीदार क्र. (3) श्री राधेश्याम उपाध्याय पिता श्री चितरंजन उपाध्याय, भागीदार क्र. (4) श्री कन्हैयालाल पात्रे पिता श्री दुर्गाप्रसाद पात्रे, भागीदार क्रमांक (5) श्री अजिन्द्र सिंह बेदी पिता स्व. श्री हरपाल सिंह बेदी, भागीदार क्र. (6) श्री प्रशांत जायस्वाल पिता श्री नरेन्द्र जायस्वाल, भागीदार क्र. (7) श्री धर्मेन्द्र सिंह मागो पिता श्री मोहन सिंह मागो, भागीदार क्र. (8) श्री संदीप श्रीवास्तव पिता स्व. श्री रघुनाथ श्रीवास्तव, भागीदार क्र. (9) श्री महेन्द्र कुमार जैन पिता स्व. श्री प्रेमचंद जी जैन, भागीदार क्रमांक (10) श्री संजय तिवारी पिता श्री गोविन्द प्रसाद तिवारी, भागीदार क्र. (11) श्रीमती कलपना शिवहरे पति श्री रामस्वरूप शिवहरे।

फर्म की रचना में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से किए गए उक्त परिवर्तन को सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं, जबलपुर के फर्म के रजिस्टर में अंकित किए जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो, तो वे प्रकाशन दिनांक से 07 कार्य दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराए बाद में प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

सूचनार्थ.

निपुण गढ़वाल,
(अधिवक्ता)

(654-बी.)

मैन रोड, गुलाबरा, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. शैलेन्द्र खन्ना, पंजीयन क्रमांक 04/17/06/00025/09, दिनांक 03-06-2009 संतोषी माता वार्ड क्र. 25, पांडुर्ना, जिला छिन्दवाड़ा की रचना में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से परिवर्तन किया गया है। पूर्व पंजीयत फर्म वर्ष 16-02-2009 में भागीदार क्रमांक 01 से 05 तक थे, जो क्रमशः इस प्रकार हैं :-

भागीदार क्रमांक (1) श्री शैलेन्द्र खन्ना पिता श्री कृष्णा खन्ना, भागीदार क्र. (2) श्री उज्ज्वल चौहान पिता श्री दशरथ सिंह चौहान शामिल थे।

फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से किया गया है जो इस प्रकार है-भागीदार क्रमांक (1) श्री शैलेन्द्र खन्ना पिता श्री कृष्णा खन्ना ने दिनांक 31-03-2015 से अपने आप को फर्म से पृथक् (withdraw) कर लिया है उनके स्थान पर दिनांक 01-04-2015 से निम्न भागीदार कार्यभार तथा व्यापार का संचालन करेंगे-

भागीदार क्रमांक (1) श्री उज्ज्वल चौहान पिता श्री दशरथ सिंह चौहान, भागीदार क्र. (2) श्री रंजीत शिवहरे पिता श्री रामलखन जी शिवहरे, भागीदार क्र. (3) श्री राधेश्याम उपाध्याय पिता श्री चितरंजन उपाध्याय, भागीदार क्र. (4) श्री कन्हैयालाल पात्रे पिता श्री दुर्गाप्रसाद पात्रे, भागीदार क्रमांक (5) श्री अजिन्द्र सिंह बेदी पिता स्व. श्री हरपाल सिंह बेदी, भागीदार क्र. (6) श्री प्रशांत जायस्वाल पिता श्री नरेन्द्र जायस्वाल, भागीदार क्र. (7) श्री धर्मेन्द्र सिंह मागो पिता श्री मोहन सिंह मागो, भागीदार क्र. (8) श्री संदीप श्रीवास्तव पिता स्व. श्री रघुनाथ श्रीवास्तव, भागीदार क्र. (9) श्री महेन्द्र कुमार जैन पिता स्व. श्री प्रेमचंद जी जैन, भागीदार क्रमांक (10) श्री संजय तिवारी पिता श्री गोविन्द प्रसाद तिवारी, भागीदार क्र. (11) श्रीमती कलपना शिवहरे पति श्री रामस्वरूप शिवहरे।

फर्म की रचना में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से किए गए उक्त परिवर्तन को सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं, जबलपुर के फर्म के रजिस्टर में अंकित किए जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो, तो वे प्रकाशन दिनांक से 07 कार्य दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराए बाद में प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

सूचनार्थ.

निपुण गढ़वाल,

(अधिवक्ता)

मैन रोड, गुलाबरा, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(655-बी.)

आम सूचना

भागीदार विलेख अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 03-06-2011 गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया एवं भागिता विलेख तैयार किया गया साथ ही साथ फर्मों के रजिस्ट्रार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा-58 (1) के तहत फर्म श्री सद्गुरु ट्रांसपोर्ट सर्विसेस के नाम से भागीदारी फर्म का पंजीयन कराया. विलेख के अनुसार दिनांक 08-09-2016 तक सभी पार्टनर एक साथ व्यवसाय करते रहे तत्पश्चात सभी भागीदारों द्वारा पारस्परिक रूप से आज दिनांक 08-09-2016 को निश्चित कर उक्त फर्म में से भागीदार चंदा देवी असाठी पति स्व. श्री सुदामा प्रसाद असाठी, पता-एस. एफ. 2, मनप्रीत विहार, कृपाल चौक, गुप्तेश्वर, जबलपुर का निर्गमन कर दिया गया है एवं नये भागीदार के रूप में प्रताप सिंह पिता स्व. श्री राजा बहादुर सिंह पता-1918, राईट टाउन, जबलपुर को सम्मिलित कर लिया गया है.

श्री सद्गुरु ट्रांसपोर्ट सर्विसेस,

आनंद असाठी,

(पार्टनर)

सिटी बस डिपो, आगा चौक, जबलपुर.

(656-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स सूर्या जीएस इन्टरप्राइजेज जिसका पंजीयन क्रमांक 07/34/01/00018/13, वर्ष 2013-14, दिनांक 08-08-2013 को हुआ था. इस फर्म को भागीदारी विघटन लेख दिनांक 30-09-2015 के द्वारा भंग (विघटित) कर दिया गया है.

मैसर्स सूर्या जीएस इन्टरप्राइजेज,

गुलाम मुस्तफा,

(भागीदारगण)

ब. नं. 19 (जेक एंड जिल स्कूल बिल्डिंग)

सी. आर. पी. एफ. रोड, नीमच (म.प्र.).

(659-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रिकल्स, जिसका पंजीयन क्रमांक 07/34/01/00091/10, वर्ष 2009-10, दिनांक 29-01-2010 को हुआ था. इस फर्म को भागीदारी विघटन लेख दिनांक 20-01-2016 के द्वारा भंग (विघटित) कर दिया गया है.

मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रिकल्स,

पी. के. खण्डेलवाल,

(भागीदारगण)

ब. नं. 19 सी. आर. पी. एफ. रोड, नीमच (म.प्र.).

(660-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स पीताम्बरा बिल्डकॉन स्थित 25, इनफ्रन्ट ऑफ स्टेडियम गेट नं.2 उन्नाव रोड, दतिया (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02/39/01/00092/14, दिनांक 17-07-2014 है. जिसमें दिनांक 21-01-2017 को भागीदार पुष्पेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री अमृत सिंह यादव, निवासी 01, एम. डी. 22 न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी दतिया अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 21-01-2017 को नवीन भागीदार के रूप में श्री अमित सकसैना पुत्र श्री विश्वेश्वर दयाल सकसैना, निवासी म. नं. 137, रायसेन रोड, आनन्द नगर, हुजूर भोपाल फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

मैसर्स पीताम्बरा बिल्डकॉन,

राघवेन्द्र सिंह यादव,

(भागीदारी)

उन्नाव रोड, दतिया (म.प्र.).

(661-बी.)

NOTICE**(U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)**

Notice is hereby given that the firms "M/s PRATYUSHA ENTERPRISES" of Jabalpur vide Registration No. 04/17/01/0136/2015-2016, Dated 19-10-2015 undergone the following changes:-

1. That Shri Deepak Pawar S/o Shri Gendaram Pawar has joined the firm and Shri Gendaram Pawar S/o Shri Jairam Pawar desire to retire from the partnership firm w. e. f. 16-07-2016.
2. That the Principal place of business is shifted of 73, A-Sector, Indrapuri, B.H.E.L., Bhopal w. e. f. 16-07-2016.

"M/s PRATYUSHA ENTERPRISES"

VIJAY PAWAR,

(Partner)

73, A-Sector, Indrapuri, B.H.E.L., Bhopal.

(657-B.)

NOTICE**(NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)**

Notice is hereby given for public information that Shri Ashish Mantri S/o Late Shri Bhagirath Mantri and Shri Sunir Mantri S/o Shri Narayan Mantri have retired from the partnership business of the firm named M/s MANTRI STEEL TRADING CO., 39, NEW LOHA MANDI, INDORE (MP) as partner vide regn. No. 401/1983-84, dated : 19-07-1983, year : 1983-84 as from 01-04-2016 & Smt. Anita Mantri W/o Shri Govind Narayan Mantri and Shri Saurabh Mantri S/o Shri Narayan Mantri have been admitted in the partnership business of the said firm as a partners as from 01-04-2016 and the constitution of the firm stands altered accordingly.

"M/s MANTRI STEEL TRADING CO."

NARAYAN MANTRI,

(Partner)

(658-B.)

विविध**आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं**

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया

दतिया, दिनांक 10 जनवरी, 2017

क्र.-क्यू.सी.ब्रा.9-21/8/2002-17/187.-मध्यप्रदेश सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक 4 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2/1999/1/4, भोपाल दिनांक 30 मार्च, 1999 में निहित प्रावधानान्तर्गत एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, मदन कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दतिया कैलेण्डर वर्ष 2017 में निम्नानुसार दतिया जिले के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम
1.	14 मार्च, 2017	मंगलवार	होली की भाई दौड़
2.	25 अगस्त, 2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
3.	19 सितम्बर, 2017	मंगलवार	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या

मदन कुमार,

कलेक्टर.

(241)

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016

क्र./1688/व.लि/2016-17.-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2/09/1/4,

दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, पी. नरहरि, कलेक्टर, जिला इन्दौर वर्ष 2017 के लिए इन्दौर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों के लिए स्थानीय अवकाश की घोषणा करता हूँ:-

क्र.	जिला	त्यौहार	दिनांक	दिन	विवरण
1.	इन्दौर	रंगपंचमी	17 मार्च, 2017	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिला
2.	इन्दौर	अनंत चतुर्दशी का दूसरा दिन	06 सितम्बर, 2017	बुधवार	सम्पूर्ण जिला
3.	इन्दौर	दीपावली का दूसरा दिन	20 अक्टूबर, 2017	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिला

उक्त अवकाश बैंक कोषालय पर लागू नहीं होगा.

नोट :-अहिल्या उत्सव दिनांक 20 अगस्त, 2017 को रविवार होने से अर्द्ध दिवस का अवकाश घोषित नहीं किया गया है.

(242)

पी. नरहरि,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी

सिवनी, दिनांक 06 जनवरी, 2017

क्र./119/व.लि./2017.-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 में निहित प्रावधान अनुसार, सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम-08 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, धनराजू एस., कलेक्टर, सिवनी वर्ष-2017 के लिए सिवनी जिले में निम्नलिखित तिथियों में पूरे दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-

स. क्र.	त्यौहार का नाम जिसके लिए अवकाश घोषित किया जाना है	दिन	दिनांक
1.	विश्व आदिवासी दिवस	बुधवार	09 अगस्त, 2017
2.	दुर्गाष्टमी	गुरुवार	28 सितम्बर, 2017
3.	अन्नकूट पूजन (दीपावली का दूसरा दिन)	शुक्रवार	20 अक्टूबर, 2017

उक्त अवकाश कोषालय/उप-कोषालय एवं बैंकों पर लागू नहीं होगा.

(243)

धनराजू एस.,
कलेक्टर.

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्रारूप-4

प्र. क्रमांक 01/ब-113/2016-17.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम-1962, नियम-5(1) के अंतर्गत]

चूँकि आवेदक श्री अनिल कुमार पिता श्री प्रताप नारायण मिश्रा वगैरह, निवासी ग्राम टोला, तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी द्वारा "श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर" टोला रोड, उमरियापान, जिला कटनी का ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश ट्रस्ट अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि-कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं सम्पत्ति जिसका विवरण निम्न परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति/दावा पेश करना चाहे तो यह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

"परिशिष्ट"

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता और चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम : "श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर"

2. पता : टोला रोड, उमरियापान, जिला कटनी, मध्यप्रदेश
3. चल सम्पत्ति : दो नग चांदी के मुकुट-वजन 540 ग्राम, 6 नग पीतल के घंटे कीमत रु. 16000.00, तीन नग-आरती पात्र मूल्य 6100.00 रु., 1 नग तांबा पात्र मूल्य 200 रु., तीन नग-थाली मूल्य 400.00 रु., 1 नग पंच पात्र, 1 नग नगाड़ा पीतल धातु मूल्य 200 रु., 1 नग स्टील बाल्टी मूल्य 200.00 रु.
4. आवेदकगण के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति : ग्राम उमरियापान स्थित ख.नं. 467/1-2, 867, 478/1 कुल रकबा 3.053 के अंश भाग 4000 वर्गफुट भू-खण्ड पर मंदिर निर्मित.

न्यास की आय के स्रोत न्यासीगण का अंशदान एवं अन्य प्राप्तियां औसत सकल वार्षिक आय लगभग रु. 25000/- है.

आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से प्रसारित किया गया.

आर. के. पटेल,

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(107)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

विदिशा, दिनांक 09 जनवरी, 2017

प्र. क्र. 05/बी-113/15-16.

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री भोलाराम कुशवाह, अध्यक्ष "श्री हनुमान मंदिर एवं परोपकारी न्यास" बंदा बैरागी मार्ग, बरईपुरा, विदिशा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 फरवरी, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 फरवरी, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : "श्री हनुमान मंदिर एवं परोपकारी न्यास" बंदा बैरागी मार्ग, बरईपुरा, विदिशा
2. चल सम्पत्ति : राशि रु. 2,000/- नगद, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा विदिशा के खाता नं. 31370100007327 में जमा, नगद राशि 14,100/- सचिव, महेन्द्रसिंह रघुवंशी.
3. अचल सम्पत्ति : विदिशा स्थित भूमि सर्वे क्र. 2062 रकबा 0.042 हे. में से 16 बाय 17 वर्गफीट प्राचीन मंदिर निर्मित है.

आर. पी. अहिरवार,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(108)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र. क्र. /बी-113/2016-17.

प्रारूप-तृतीय

[नियम पाँच (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अंतर्गत]

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यहकि अध्यक्ष, प्रकाश पिता नारायण कोचुरकर निवासी शाहपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर ने "क्षत्रिय कुनबी (मराठा) समाज ट्रस्ट, शाहपुर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश" को लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 30 जनवरी, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : "क्षत्रिय कुनबी (मराठा) समाज ट्रस्ट, शाहपुर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश"
 2. चल सम्पत्ति : नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, शाखा शाहपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश में खाता क्र. 028710110003287 में 80,201/- जमा हैं.
 3. अचल सम्पत्ति : निरंक
- जारी, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

श्यामेन्द्र जायसवाल,
पंजीयक.

(109)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

फार्म-चार

संशोधित

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री दिलीप पिता उम्मेदमल जैन पता-व्यक्तेश नगर, एरोडूम रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा श्री राज विहार ट्रस्ट कार्यालय पता-253-254, सुखदेव नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|---------------|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | श्री राज विहार ट्रस्ट |
| पता | : | कार्यालय पता-254-54, सुखदेव नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश |
| अचल सम्पत्ति | : | 253-254, सुखदेव नगर स्थित 2 भू-खण्ड जिस पर मंदिर व भवन बना है |
| चल सम्पत्ति | : | रु. 5,289/- (रु. पाँच हजार दो सो नबासी मात्र) |

आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(236)

फार्म-चार

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के आवेदक लायंस अन्नम् रक्षाम् चेरिटेबल ट्रस्ट पता-एफ. एच. 165, आशा विला, स्कीम नम्बर 54, नव निर्माण स्कूल के पास विजय नगर, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री सतीश भल्ला पिता स्व. श्री कस्तुरीलालजी भल्ला निवासी-एफ. एच. 165, आशा विला, स्कीम नम्बर 54, नव निर्माण स्कूल के पास विजय नगर, इन्दौर अन्य-4 के द्वारा लायंस अन्नम् रक्षाम् चेरिटेबल ट्रस्ट, कार्यालय पता-एफ. एच. 165, आशा विला, स्कीम नम्बर 54, नव निर्माण स्कूल के पास विजय नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	लायंस अन्नम् रक्षाम् चेरिटेबल ट्रस्ट
पता	:	एफ. एच. 165, आशा विला, स्कीम नम्बर 54, नव निर्माण स्कूल के पास विजय नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	वर्तमान में 2,100/- (अक्षरी रुपये दो हजार एक सौ) के फंड से न्यास शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(237)

फार्म-चार

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के आवेदक सन्त श्री विजय राम दासजी आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट पता-श्री मारूती नंदन आश्रम सुपर कोरीडोर, लवकुश चौराहे के पास, ग्राम बरदरी तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री धर्मेन्द्र कुशवाह पिता श्री ओमप्रकाश कुशवाह निवासी-1, कुशवाह नगर चौराह, इन्दौर के द्वारा सन्त श्री विजय राम दासजी आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट कार्यालय पता-श्री मारूती नंदन आश्रम सुपर कोरीडोर, लवकुश चौराहे के पास, ग्राम बरदरी जिला इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	सन्त श्री विजय राम दासजी आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
पता	:	श्री मारूती नंदन आश्रम सुपर कोरीडोर, लवकुश चौराहे के पास, ग्राम बरदरी, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	ट्रस्ट की चल सम्पत्ति में 1100/- (अक्षरी रुपये एक हजार एक सौ मात्र) हैं.

आज दिनांक 03 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(238)

फार्म-चार

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के आवेदक MUKTIYA WORLD PEACE, PLEASURE, PROSPERITY TRUST पता-145, विंध्याचल नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री स्वतंत्र पिता स्व. श्री एम. एल. जैन निवासी- 145, विंध्याचल नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर अन्य-3 के द्वारा MUKTIYA WORLD PEACE, PLEASURE, PROSPERITY TRUST कार्यालय पता-145, विंध्याचल नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	MUKTIYA WORLD PEACE, PLEASURE, PROSPERITY TRUST
पता	:	145, विंध्याचल नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	वर्तमान में 1,11,111/- (अक्षरी रुपये एक लाख एक हजार एक सौ ग्यारह) के फंड से न्यास शुरू किया जा रहा है।

आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

अजीत कुमार श्रीवास्तव,

रजिस्ट्रार।

(239)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, भोपाल

प्र.क्र. 33/बी-121/2016-17.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

जैसाकि (जानकी मेमोरियल ट्रस्ट) प्लॉट नंबर-226-ए, भरतनगर, शाहपुरा, भोपाल ट्रस्टी श्री रामदुलार जायसवाल आ. स्व. श्री पुरुषोत्तम दास जायसवाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 05 फरवरी, 2017 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव देना चाहते हो, तो एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	:	जानकी मेमोरियल ट्रस्ट.
2. अचल सम्पत्ति	:	निल.
3. चल सम्पत्ति	:	निल.

आज दिनांक 19 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

अतुल सिंह,

रजिस्ट्रार.

(240)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सह. निरी., सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छतरपुर द्वारा निम्न समितियों को निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. समितियां निम्न प्रकार हैं:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	एकता प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., चन्दला	1137/18-11-2008	2500/02-12-2013
2.	मत्स्योद्योग स. समिति मर्या., बछौन	836/05-11-1998	2470/02-12-2013
3.	माँ पीताम्बरा कृषि उत्पा. क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., ज्यौराहा	1035/04-09-2004	2447/29-11-2013
4.	सांवरकर क्रय-विक्रय बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., चन्दला	1134/16-01-2008	2446/29-11-2013
5.	धंथागढ़ महिला बहु. सह. समिति मर्या., चौहानी	1124/27-09-2007	751/01-08-2009
6.	कामतानाथ महिला बहु. सह. मर्या., मुड़ेरी	1128/09-10-2007	751/01-08-2009
7.	कमल खनिज कर्म उद्यो. सह. समिति मर्या., परेई	998/26-03-2004	945/03-06-2013
8.	अनुपम ईंधन आपूर्ति सह. मर्या., लौड़ी	27/27-09-2004	434/12-04-2010
9.	अवंतीबाई महिला ईंधन आपूर्ति सह. मर्या., लौड़ी	31/02-03-2005	435/12-04-2010
10.	माँ वैष्णो महिला ईंधन आपूर्ति सह. मर्या., लौड़ी	51/16-06-2006	436/12-04-2010
11.	स्वायत्त ईंधन आपूर्ति सह. मर्या., लौड़ी	52/16-06-2006	437/12-04-2010
12.	महिला ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., गौरिहार	992/04-03-2004	1345/23-09-2015
13.	ओम साई राम नाग. सह. समिति मर्या., पठा	1223/19-12-2008	1344/23-09-2015
14.	एकता ईंधन आपूर्ति सह. मर्या., चन्दला	28/29-09-2004	1348/23-09-2015
15.	कृष्णा महिला ईंधन आपूर्ति सह. मर्या., परेई	39/07-09-2005	1347/23-09-2015

अतः मैं, के. एल. विश्वकर्मा, सह. निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण पत्रों के मुझे लिखित रूप में सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी समितियां, छतरपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें यदि निर्धारित समयावधि में दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये गये समझे जावेंगे.

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि संस्था के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. परन्तु उक्त समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

के. एल. विश्वकर्मा,
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सह. निरी., सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छतरपुर द्वारा निम्न समितियों को निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. समितियां निम्न प्रकार हैं:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तेंदू पत्ता बीड़ी उद्योग सह. समिति मर्या., बड़ामलहरा	885/16-11-2000	1386/23-09-2015
2.	जय अबार माँ बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., घुवारा	1387/24-05-2013	098/03-08-2016
3.	जटाशंकर ईंधन आपूर्ति सह. मर्या., बड़ामलहरा	55/04-07-2007	1099/03-08-2016
4.	षिवानी ईंधन आपूर्ति सह. मर्या., करारागंज	56/21-08-2007	1100/03-08-2016
5.	प्राथ. दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., बिहटा	1364/03-02-2012	1122/03-08-2016
6.	प्राथ. दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., कुरी	1365/22-03-2012	1123/03-08-2016

अतः मैं, के. के. गुप्ता, सह. निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्रों के मुझे लिखित रूप में सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी समितियां, छतरपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें यदि निर्धारित समयावधि में दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये गये समझे जावेंगे.

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि संस्था के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. परन्तु उक्त समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

के. के. गुप्ता,

(78)

परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सह. निरी., सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मऊछ, जिला ग्वालियर	517/08-02-1990	430/17-03-2015
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जखरा, जिला ग्वालियर	504/31-03-1989	430/17-03-2015
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उबका, जिला ग्वालियर	516/08-02-1990	430/17-03-2015

1	2	3	4
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बंधौली, जिला ग्वालियर	533/31-03-1990	430/17-03-2015
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचौरा, जिला ग्वालियर	647/15-04-1993	430/17-03-2015
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बनवार, जिला ग्वालियर	519/08-02-1990	430/17-03-2015
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नया गांव, जिला ग्वालियर	980/06-02-2008	102/24-03-2016
8.	सहारा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	382/10-08-2006	1120/31-03-2016
9.	भाव भावेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	380/29-07-2004	1121/31-03-2016
10.	शारदा साख सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	1021/10-10-2013	3033/28-12-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाए, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/संचालकगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/संचालकों के दावों, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

आनन्द कुमार,

(20) परिणामपक एवं सह. निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सह. निरी., सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पनिहार	544/16-04-1990	2795/15-11-2002
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिल्हैटी	492/31-03-1989	2737/15-11-2002
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजौली	497/31-03-1989	419/15-02-2005
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भगेह	518/08-02-1990	1780/06-07-2006
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करियावटी	537/31-03-1990	1781/06-07-2006
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुसैरा	520/08-02-1990	1782/06-07-2006
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रनगँवा	493/31-03-1989	1016/29-03-2016
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवरीकंला	505/31-03-1993	1096/30-03-2016

1	2	3	4
9.	महिला बहुदेशीय सहकारी समिति मर्या., कुलैथ	884/24-02-1999	560/27-02-2002
10.	गौड़ खनिज सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	439/24-04-1985	1419/23-05-2006
11.	स्वास्तिक कुक्कट पालन सह. समिति मर्या., ग्वालियर	757/19-09-1994	30/30-09-2000
12.	जय बालाजी खनिज कामगार सह. समिति मर्या., गंगा मालनपुर	687/31-05-1994	1410/23-05-2006
13.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., लोढपुरा	431/23-02-2013	1022/29-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएँ, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/संचालकगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयवधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/संचालकों के दावों, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

आलोक साहू,

(99)

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सह. निरी., सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वड़ागांव	956/26-08-2004	1019/19-03-2016
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हस्तिनापुर	529/08-02-1990	1789/06-07-2006
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उर्वा	541/31-03-1990	1790/06-07-2006
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनेली	523/08-02-1990	1792/06-07-2006
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुलेथ	524/08-02-1990	1795/06-07-2006
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शुक्लहारी	646/31-03-1991	1796/06-07-2006
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाटीगांव	496/31-03-1991	1017/29-03-2016
8.	महावीर शक्ति तेलघानी सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	422/27-04-1985	1085/30-03-2016
9.	सिन्धु कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्या., ग्वालियर	437/04-06-1985	1547/13-08-2009
10.	कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	893/16-10-1999	2461/24-11-2012

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/संचालकगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/संचालकों के दावों, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

भगवत शरण चौबे,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(100)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/3562.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	धरती धन बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, तिराखेडी	2168/20-08-15
2.	माँ भवानी बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, मुरारखेडी	2169/20-08-15
3.	माँ कालिका बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, इंगोरिया	2176/20-08-15
4.	श्री कृष्ण बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, बिरगोदा रणधीर	2198/21-08-15
5.	धनलक्ष्मी बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, इंगोरिया	2200/21-08-15
6.	लोकप्रिय बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, भैसलाखुर्द	2211/04-09-15
7.	महाकाल बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, पलसोड़ा	2212/04-09-15
8.	विकास बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, सलवा	2213/04-09-15
9.	सांतरिया बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, भाटपचलाना	2214/04-09-15
10.	अन्नपूर्णा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, बड़गाँवा	2215/04-09-15
11.	कृष्णा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, अमला	2216/11-09-15
12.	श्री देवनारायण बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, गिन्दवालिया	2223/11-09-15

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को पंजीयन दिनांक से 3 माह के अन्दर संस्थाओं का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है। परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव नहीं दिया है साथ ही संस्था के कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 813, दिनांक 18 मार्च, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि नियत दिनांक तक अप्राप्त होने से पुनः अवसर प्रदान करते हुये कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2159, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 19 सितम्बर, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि आज दिनांक तक

अप्राप्त है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए संचालकों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है। संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने एवं कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था का संचालक मण्डल संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4
1.	धरती धन बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, तिराखेडी	2168/20-08-15	श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक
2.	माँ भवानी बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, मुरारखेडी	2169/20-08-15	श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक
3.	माँ कालिका बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, इंगोरिया	2176/20-08-15	श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक
4.	श्री कृष्ण बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, बिरगोदा रणधीर	2198/21-08-15	श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक
5.	धनलक्ष्मी बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, इंगोरिया	2200/21-08-15	श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक
6.	लोकप्रिय बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, भैसलाखुर्द	2211/04-09-15	श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक
7.	महाकाल बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, पलसोड़ा	2212/04-09-15	श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक
8.	विकास बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, सलवा	2213/04-09-15	श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक
9.	सांतरिया बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, भाटपचलाना	2214/04-09-15	श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक
10.	अन्नपूर्णा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, बड़गाँवा	2215/04-09-15	श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक
11.	कृष्णा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, अमला	2216/11-09-15	श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक
12.	श्री देवनारायण बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्यादित, गिन्दवालिया	2223/11-09-15	श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(33)

उज्जैन, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/3757.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गांगलिया खेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2013, दिनांक 08 जुलाई, 2015 आदेश क्रमांक/परि./3561, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्रीमती हेमलता चंदेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में संचालकों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं संचालकों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./3561, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गांगलिया खेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2013, दिनांक 08 जुलाई, 2015 को पुनर्जीवित करता हूँ। साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्रीमती हेमलता चंदेल, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(34)

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2506.—बुन्देलखण्ड प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बण्डा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 644, दिनांक 18 सितम्बर, 1996 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/1951, दिनांक 28 सितम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के संचालकों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 24 नवम्बर, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके संचालकों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/765, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुये बुन्देलखण्ड प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बण्डा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 644, दिनांक 18 सितम्बर, 1996 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार संचालकों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्री राजेश चौधरी	स्व. श्री गोरेलाल	अध्यक्ष	7.	श्रीमती राधाबाई	श्री भैयालाल अहिरवार	सदस्य
2.	श्रीमती सुशमा	श्री नरेन्द्र अहिरवार	उपाध्यक्ष	8.	श्री अजय	श्री हरप्रसाद अहिरवार	सदस्य
3.	श्री कालीचरण	श्री हरीसिंह	सदस्य	9.	श्रीमती सुहागरानी	श्री मोती अहिरवार	सदस्य
4.	श्री अनन्दी	श्री कन्हैया अहिरवार	सदस्य	10.	श्री सूरज	श्री मोहन अहिरवार	सदस्य
5.	श्री विनोद	श्री नरबदा अहिरवार	सदस्य	11.	श्री इमरत	श्री गुल्ली अहिरवार	सदस्य
6.	श्री मुन्ना	श्री शंकर सेन	सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(35)

सागर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर

क्र./परि./2016/2509.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, पंजीयन क्रमांक 119, दिनांक 30 सितम्बर, 1999, जिला सागर द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार-

1. निर्वाचन कक्ष द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री आर. जे. खरे, द्वारा लिखित जानकारी प्रस्तुत कर लेख किया है कि संस्था निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ले रही है तथा श्री जी. पी. पिपरशानियां (प्रशासक) को संस्था का प्रभार प्रस्तुत नहीं किया है. अतः संस्था नियमों का पालन नहीं कर रही है. इसलिये परिसमापन में लाया जाने का लेख लिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(36)

सागर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या.,

मनोरमा वार्ड बीना, जिला सागर.

क्र./परि./2016/2510.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., मनोरमा वार्ड बीना जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 658, दिनांक....., जिला सागर द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.-

1. निर्वाचन कक्ष द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री रजनीश नायक द्वारा लिखित जानकारी प्रस्तुत कर लेख किया है कि संस्था निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ले रही है तथा आवश्यक प्रपत्र/जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा रही है। जिससे निर्वाचन नहीं कराया जा सका।

अतः उपर्युक्त कारण के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., मनोरमा वार्ड बीना जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारण के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(37)

सागर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

सन्मति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरझामर, जिला सागर.

क्र./परि./2016/2511.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सन्मति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरझामर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 129, दिनांक 25 सितम्बर, 2002, जिला सागर द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.

निर्वाचन कक्ष द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री प्रमोद कापड़िया द्वारा लिखित जानकारी प्रस्तुत कर लेख किया है कि संस्था निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ले रही है तथा आवश्यक प्रपत्र/जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा रही है। जिससे निर्वाचन नहीं कराया जा सका है। अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सन्मति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरझामर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(38)

सागर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

नारी कल्याण उद्योग सहकारी समिति मर्या., जिला सागर.

क्र./परि./2016/2512.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार नारी कल्याण उद्योग सहकारी समिति मर्या., जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 306, दिनांक 03 जुलाई, 1977, जिला सागर द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

निर्वाचन कक्ष द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री राकेश कुमार जैन द्वारा लिखित जानकारी प्रस्तुत कर लेख किया है कि संस्था निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ले रही है तथा आवश्यक प्रपत्र/जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा रही है। जिससे निर्वाचन नहीं कराया जा सका है। अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारी कल्याण उद्योग सहकारी समिति मर्या., जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(39)

सागर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोमला, जिला सागर.

क्र./परि./2016/2513.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोमला, जिला सागर,

पंजीयन क्रमांक 145, दिनांक 30 जुलाई, 2007, जिला सागर द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.-

श्री बंसत कुमार रोहित ने पत्र द्वारा अवगत कराया है कि उन्हें संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था के प्रबंध/अध्यक्ष द्वारा संस्था का प्रभार नहीं दिया गया है तथा संस्था का न ही कोई कार्यालय है जिस कारण प्रशासक का पदभार ग्रहण नहीं किया जा सका. अतः संस्था अपने उद्देश्यों अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन कार्य करने में अक्षम है. अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोमला, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(40)

सागर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., मण्डी बमोरा, वि. खं. बीना.

क्र./परि./2016/2514.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., मण्डी बमोरा, पंजीयन क्रमांक 744, दिनांक 22 मार्च, 1999, जिला सागर द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.-

1. सोसायटी अकार्यशील है.

2. प्रशासक श्री ऋषभ कुमार जैन द्वारा लिखित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि संस्था संचालकों के निर्वाचन कराने में रुचि नहीं है. अतः संस्था नियमों का पालन नहीं कर रही है. अतः परिसमापन में लाये जाने का लेख किया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., मण्डी बमोरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(41)

सागर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

पार्वती महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., धंसरा, वि. खं. बीना.

क्र./परि./2016/2515.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार पार्वती महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., धंसरा, पंजीयन क्रमांक 1035, दिनांक 28 फरवरी, 2003, जिला सागर द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. सोसायटी अकार्यशील है.

2. प्रशासक श्री ऋषभ कुमार जैन द्वारा लिखित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि संस्था संचालकों के निर्वाचन कराने में रुचि नहीं है. अतः संस्था नियमों का पालन नहीं कर रही है. अतः परिसमापन में लाये जाने का लेख किया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पार्वती महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., धंसरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(42)

सागर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिरौल, जिला सागर.

क्र./परि./2016/2516.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिरौल, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1068, दिनांक 05 जून, 2003 जिला सागर द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

निर्वाचन कक्ष द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री एच. के. मिश्रा द्वारा दी गई जानकारी अनुसार संस्था बंद है तथा निर्वाचन में रुचि नहीं ली जा रही है. अतः उपर्युक्त कारण के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिरौल, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारण के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावडकर,
उप-रजिस्ट्रार.

(43)

कार्यालय परिसमापक एवं सह. वि. अधिकारी, सहकारी समितियां, वनखेडी, जिला होशंगाबाद

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-75 (ग) के अंतर्गत]

क्र.	परिसमापन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श बुनकर सह. समिति मर्या., पचमढी	2677/18-01-1999	337/07-03-2015
2.	माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., मरकाढाना	26/14-02-2003	337/07-03-2015
3.	श्री मातरम साख सह. समिति मर्या., बिचुआ	3042/25-08-2009	337/07-03-2015
4.	जय श्रीराम साख मैदाखेडा	3021/27-01-2009	337/07-03-2015
5.	माँ नर्मदा साख, नयागांव	3021/27-01-2009	337/07-03-2015
6.	विनायक साख सह., बाचावानी	2997/19-08-2008	337/07-03-2015
7.	जय बीजासेन साख सह. समिति, पडरईठाकुर	01-06-2007	337/07-03-2015
8.	माँ भवानी साख, महगंवा	-	337/07-03-2015
9.	राधिका महिला बहुउद्देशीय सह. समिति, परसवाडा	90/21-03-2007	337/07-03-2015
10.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., पचुआ	2802/13-04-2004	337/07-03-2015
11.	माँ वैष्णव क्रय-विक्रय सह. समिति, पिपरिया	3047/29-04-2010	337/07-03-2015
12.	जन वर्षा साख, पिपरिया	100/13-10-2008	337/07-03-2015
13.	सतपुडा साख सह. समिति मर्या., पिपरिया	102/24-02-2009	337/07-03-2015
14.	माँ शारदा साख, पिपरिया	03-09-2010	337/07-03-2015
15.	नर्मदा साख सह. समिति, कलगंवा	05-09-2008	337/07-03-2015
16.	श्रीराम साख सह. समिति, खापरखेडा	14-01-2008	337/07-03-2015
17.	नर्मदा शिक्षित बेरोजगार साख. सह. समिति, पिपरिया	25-01-2007	337/07-03-2015
18.	कृष्णा महिला साख, सांडिया	2891/03-06-2006	337/07-03-2015
19.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, धनासरी	08-01-2002	337/07-03-2015
20.	दुग्ध उत्पादक, गोविन्दनगर	3085/09-01-2013	337/07-03-2015
21.	दुग्ध उत्पादक, आमगांव	3070/10-04-2012	337/07-03-2015

उल्लेखित समितियों को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के आदेश क्र./परि./2015/377, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर में प्रमाण पत्र यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं त्रुटि की दशा में साहकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाहीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(44)

एस. एस. पगारे,
सह. वि. अधि., परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला अनूपपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर के आदेश द्वारा मुझे निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है। अतः मैं, आर. पी. सिंह उड़के, परिसमापक सहकारी संस्थाएं एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक अनूपपुर एतद्वारा संस्थाओं के समस्त देनदारों/लेनदारों, संचालकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित करता हूँ कि वे अपने समस्त दावों को सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर सप्रमाण लिखित में मेरे समक्ष प्रस्तुत करें:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., जैतहरी	839/20-05-1991	539/22-12-2012
2.	सोडा फैक्ट्री प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., बरगवां	879/30-06-1995	491/25-10-2012
3.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अमलई रेल्वे स्टेशन बरगवां	840/10-12-1991	495/25-10-2012
4.	आदिवासी बहुधंधी सहकारी समिति मर्या., बम्हनी	32/15-03-1965	529/03-12-2012
5.	आदिवासी बहुधंधी सहकारी समिति मर्या., कोयलारी	19/15-06-1965	529/03-12-2012
6.	आदिवासी बहुधंधी सहकारी समिति मर्या., गिरारीखुर्द	01/28-12-1951	529/03-12-2012
7.	आदिवासी बहुधंधी सहकारी समिति मर्या., बेलडोंगरी	610/05-03-2003	529/03-12-2012

यह सूचना जारी होने के दिनांक से दो माह की अवधि के अंदर कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो उपलब्ध अंकेक्षण टीप के आधार पर देनदारी/लेनदारी का निराकरण कर पंजीयन निरस्तगी हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है।

(48)

आर. पी. सिंह उड़के,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला अनूपपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं अनूपपुर के आदेश के द्वारा मुझे निम्नांकित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, अनुज कुमार ओहदार, परिसमापक सहकारी संस्थाएं एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, अनूपपुर एतद्वारा संस्था के समस्त देनदारों/लेनदारों, संचालकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित करता हूँ कि वे अपने समस्त दावों को सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर सप्रमाण लिखित में मेरे समक्ष प्रस्तुत करें:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., वार्ड नं. 03 अनूपपुर	880/13-06-1995	494/25-10-2012

यह सूचना जारी होने के दिनांक से दो माह की अवधि के अंदर कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो उपलब्ध अंकेक्षण टीप के आधार पर देनदारी/लेनदारी का निराकरण कर पंजीयन निरस्तगी हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है।

(49)

अनुज कुमार ओहदार,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला अनूपपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर के आदेश द्वारा मुझे निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है. अतः मैं, जी. एल. नामदेव, परिसमापक सहकारी संस्थाएं एवं सहकारी निरीक्षक, अनूपपुर एतद्वारा संस्थाओं के समस्त देनदारों/लेनदारों, संचालकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित करता हूँ कि वे अपने समस्त दावों को सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर सप्रमाण लिखित में मेरे समक्ष प्रस्तुत करें:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश. क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., देवरी विवेकनगर	846/07-12-1992	497/25-10-2012
2.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रेल्वे स्टेशन अमलई	877/24-12-1994	496/25-10-2012

यह सूचना जारी होने के दिनांक से दो माह की अवधि के अंदर कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो उपलब्ध अंकेक्षण टीप के आधार पर देनदारी/लेनदारी का निराकरण कर पंजीयन निरस्तगी हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है।

(50)

जी. एल. नामदेव,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	विकास बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुरूजी	2069	2461/03-10-2015
2.	नवदुर्गा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुड़ावल	2075	2463/03-10-2015
3.	श्री राधाकृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनगवां	2072	2462/03-10-2015
4.	हलधर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिन्नी	2068	2460/03-10-2015
5.	उन्नति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भीटाकला	2070	2459/03-10-2015
6.	इन्द्रप्रस्थ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंजई	2040	2457/03-10-2015
7.	जय दुर्गे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जुझारी मझौली	2071	31/04-01-2016

1	2	3	4
8.	प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वनखेड़ी	2073	32/04-01-2016
9.	ओमशंकर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तलाड़	2053	349/11-02-2016
10.	विष्णु वराह बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमगवां	2074	2165/28-08-2015
11.	दि विकास गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	171	2064/12-08-2015
12.	एकता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., गोहलपुर जबलपुर	1606	968/31-03-2016
13.	बीड़ी कामगार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1855	969/31-03-2016
14.	हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., लमकना	790	967/31-03-2016
15.	गांधीग्राम प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर	9098	970/31-03-2016
16.	म. प्र. वि. मं. कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., मझौली	647	971/31-03-2016
17.	चर्म सहकारी समिति मर्या., छीतापाल	1498	1145/22-04-2016

अतः मैं, योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें.

उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के संचालक या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखापुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

योगेश दुबे,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(51)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., फनवानी	2100	2458/03-10-2015
2.	बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घुघरीकला	2111	2465/03-10-2015
3.	किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगवां	2104	2464/03-10-2015
4.	आनंद बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कचनारी	2098	2485/07-10-2015
5.	शील बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खागामउ	2095	2486/07-10-2015

1	2	3	4
6.	नवीन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गिदुरहा	1932	351/11-02-2016
7.	हीरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घुघरी सिहोरा	2110	350/11-02-2016
8.	आदर्श किसान बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., मरहाटोला	2006	352/11-02-2016
9.	शिरडीनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	217	1936/29-07-2016
10.	शहीद भगतसिंह गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	205	1663/06-07-2016
11.	लालीलिलि गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	214	1772/25-07-2016
12.	न्यायिक अधि. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	210	1771/25-07-2016
13.	भूमि विकास बैंक कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	658	1941/29-07-2016
14.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अमखेरा रोड	1873	1664/06-07-2016
15.	बैंक कर्मचारी सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1039	1930/29-07-2016

अतः मैं, पुनीत तिवारी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें.

उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के संचालक या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखापुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

पुनीत तिवारी,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(52)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	आदिवासी मछुआ सह. समिति मर्या., देवरी, जिला जबलपुर	1809	2167/28-8-2015
2.	कृषक कल्याण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर	2105	4180/30-12-2016
3.	भोलेशंकर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलखाडू पनागर	2106	4182/30-12-2015
4.	किसान सेवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डीहाग्राम सूखा	2109	4181/30-12-2015
5.	माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उर्दुवाकला पनागर	2061	4166/23-12-2016

1	2	3	4
6.	जय किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिंगौद पनागर	2063	4167/23-12-2015
7.	जय अम्बे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहनिया पनागर	2062	4168/23-12-2015
8.	माँ बगलामुखी बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., कालाडूमर	2091	4169/23-12-2015
9.	ओम बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मोहनिया पनागर	2064	4170/23-12-2015
10.	श्री साईं बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कचनारी	2092	4165/23-12-2015
11.	कबीर बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., उमरियापाटन	2055	2951/03-12-2015
12.	लक्ष्मी बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., निभौरा	2090	2950/03-12-2015
13.	सत्य साईं बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., झुरझुर	2052	2956/03-12-2015
14.	श्री गणेश बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गनियारीखुर्द	2060	2954/03-12-2015
15.	माँ नर्मदा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., उमरियाचौबे	2051	2953/03-12-2015
16.	माँ रेवा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गुनवानी	2045	2952/03-12-2015
17.	तरूण शक्ति चर्म सहकारी समिति मर्या., पनागर	684	965/31-03-2016
18.	महाशक्ति आदि. महिला सहकारी समिति मर्या., महगवां	1913	964/31-03-2016
19.	लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खैरी	1901	958/31-03-2016
20.	जबलपुर जिला सह. मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1603	957/31-03-2016

अतः मैं, नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें.

उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के संचालक या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखापुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

नितिन मेहरा,

(53) सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश क्रमांक/उ.आ.स./परि./.....दिनांक..... के द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	श्रमिक औद्योगिक सह. समिति मर्या., जबलपुर	256	461/17-02-2016

1	2	3	4
2.	शिक्षित बेरोजगार उद्योग सहकारी समिति, जबलपुर	217	460/17-02-2016
3.	अमर प्राथ. उपभोक्ता सह. भंडार, जबलपुर	1151	466/17-02-2016
4.	अनु. जा./ज. जाति खनिज उद्योग, मोहनिया	97एच	824/16-03-2016
5.	विकास वनोपज सहकारी समिति, जबलपुर	509	827/16-03-2016
6.	स्व-रोजगार प्लास्टिक उद्योग सह. समि.	516	830/16-03-2016
7.	दुर्गेशनन्दनी उप. सह. भंडार मर्या., जबलपुर	1584	1774/25-07-2016

अतः मैं, श्रीमती इन्द्रा ताम्रकार, व.स.नि. एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें.

उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के संचालक या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखापुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

इन्द्रा ताम्रकार,

व.स.नि एवं परिसमापक.

(54)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2366.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ओरेठी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1219, दिनांक 20 अप्रैल, 2004 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है. संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2015-16/1230, दिनांक 19 जुलाई, 2016 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया. संस्था से दिनांक 11 अगस्त, 2016 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने के कोई कार्ययोजना नहीं है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ओरेठी, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री जे. एस. रामे, C.E., पोरसा, पद C.I., कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे.

(55)

मुरैना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2367.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतन बसई, जिसका पंजीयन क्रमांक 1345, दिनांक 25 अगस्त, 2008 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है. संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2015-16/1227,

दिनांक 19 जुलाई, 2016 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 11 अगस्त, 2016 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने के कोई कार्ययोजना नहीं है। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतन बसई, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री जे. एस. रामे, C.E., अम्बाह, पद C.I, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

(56)

मुरैना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2368.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., स्यावटा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1141, दिनांक 30 सितम्बर, 1994 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है। संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2015-16/1224, दिनांक 18 जुलाई, 2016 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 11 अगस्त, 2016 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने के कोई कार्ययोजना नहीं है। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., स्यावटा, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए. के. जैन, C.E., जौरा/कैलारस, पद C.I, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

(57)

मुरैना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2369.—अम्बरीश शक्ति चलित उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अम्बाह, जिसका पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 04 जनवरी, 1989 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है। संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2015-16/1234, दिनांक 19 जुलाई, 2016 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 11 अगस्त, 2016 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने के कोई कार्ययोजना नहीं है। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये अम्बरीश शक्ति चलित उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अम्बाह, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा

श्री जे. एस. रामे, C.E., अम्बाह, पद C.I., कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

(58)

मुरैना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2370.—जय मातादी प्रिंटिंग प्रेस उद्योग सहकारी संस्था मर्या., दत्तपुरा, मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक 786, दिनांक 13 सितम्बर, 1990 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है। संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2015-16/1228, दिनांक 19 जुलाई, 2016 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 11 अगस्त, 2016 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने के कोई कार्ययोजना नहीं है। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये जय मातादी प्रिंटिंग प्रेस उद्योग सहकारी संस्था मर्या., दत्तपुरा, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विजय गौतम, C.E., मुरैना, पद C.I., कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

(59)

मुरैना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2371.—हाकर्स एण्ड वैण्डर्स उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक 1056, दिनांक 06 नवम्बर, 1995 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है। संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2015-16/1233, दिनांक 19 जुलाई, 2016 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 11 अगस्त, 2016 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने के कोई कार्ययोजना नहीं है। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये हाकर्स एण्ड वैण्डर्स उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विजय गौतम, C.E., मुरैना, पद C.I., कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

(60)

मुरैना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2372.—जय माँ कैलादेवी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 1379, दिनांक 24 फरवरी, 2012 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है। संस्था को कार्यालयीन पत्र

क्र./परिसमापन/2015-16/1231, दिनांक 19 जुलाई, 2016 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 11 अगस्त, 2016 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने के कोई कार्ययोजना नहीं है। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये जय माँ कैलादेवी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विजय गौतम, C.E., सबलगढ़, पद C.I, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

(61)

मुरैना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2373.—मारुति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक 468, दिनांक 20 फरवरी, 1994 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है। संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2015-16/1229, दिनांक 19 जुलाई, 2016 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 11 अगस्त, 2016 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने के कोई कार्ययोजना नहीं है। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मारुति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विजय गौतम, C.E., मुरैना, पद C.I, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

(62)

मुरैना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2374.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिहोनिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 594, दिनांक 31 मार्च, 1984 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है। संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2015-16/2325, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने के कोई कार्ययोजना नहीं है। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से

प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिहोनिया, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विजय गौतम, C.E., मुरैना, पद C.I., कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे.

(63)

मुरैना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2375.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामसिंह का पुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1329, दिनांक 10 जुलाई, 2006 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है. संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2015-16/2322, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया. संस्था से दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने के कोई कार्ययोजना नहीं है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशांसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामसिंह का पुरा, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रज्जाक खान, पद A.V.E.O., कार्यालय ग्वालियर दुग्ध संघ सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे.

(64)

मुरैना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2376.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निमास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1315, दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है. संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2015-16/2323, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया. संस्था से दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने के कोई कार्ययोजना नहीं है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशांसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निमास, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रज्जाक खान, पद A.V.E.O., कार्यालय ग्वालियर दुग्ध संघ सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे.

(65)

मुरैना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2377.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरिया (जौरा), जिसका पंजीयन क्रमांक 920, दिनांक 16 जनवरी, 1990 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है. संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2015-16/2320,

दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने के कोई कार्ययोजना नहीं है। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरिया (जौरा), जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रज्जाक खान, पद A.V.E..O, कार्यालय ग्वालियर दुग्ध संघ सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

(66)

मुरैना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2378.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिकरोदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 487, दिनांक 15 जुलाई, 1981 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है। संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2015-16/2319, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया। संस्था से दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने के कोई कार्ययोजना नहीं है। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिकरोदा, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रज्जाक खान, पद A.V.E..O, कार्यालय ग्वालियर दुग्ध संघ सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

आर. सी. शर्मा,

उप-पंजीयक.

(67)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 18 जुलाई, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. भान्याखेडी	990/13-02-2009	1071/25-10-2013

अतः मैं, अशोक बोहरा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/संचालक/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(68)

शाजापुर, दिनांक 18 जुलाई, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. कादीखेडी	995/13-02-2009	1070/25-10-2013

अतः मैं, अशोक बोहरा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/संचालक/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

अशोक बोहरा,
परिसमापक एवं स.नि.

(69)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 06 जून, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत)

क्र./परि./2016/क्यु.-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ सरस्वती महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्या. आलाउमरोद	42/15-11-2004	1323/16-11-2015
2.	माँ पार्वती महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्या. मझानिया	36/26-12-2003	1323/16-11-2015
3.	दीनदयाल सह. मुद्रणालय एवं बाईडर्स सह. संस्था मर्या. शाजापुर	902/16-12-2004	122/01-02-2016
4.	शासकीय सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या. शाजापुर	720/11-06-1999	274/15-03-2016

अतः मैं, एन. एस. भाटी, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/संचालक/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एन. एस. भाटी,

परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

(70)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेहता

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेहता, पं. क्र. 310, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेहता, पं. क्र. 310, समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(79)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घंसौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घंसौर, पं. क्र. 309, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घंसौर, पं. क्र. 309, समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा, तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(80)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनौरा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनौरा, पं. क्र. 784, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनौरा, पं. क्र. 784, समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा, तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(81)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिंडरई

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिंडरई, पं. क्र. 783, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिंडरई, पं. क्र. 783, समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा, तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(82)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैयपुरा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रैयपुरा, पं. क्र. 782, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रैयपुरा, पं. क्र. 782, समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार देय कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे। यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(83)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुडारी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुडारी, पं. क्र. 409, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुडारी, पं. क्र. 409, समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार देय कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे। यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(84)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डुंगरिया

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डुंगरिया, पं. क्र. 411, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डुंगरिया, पं. क्र. 411, समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार देय कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

हेमसिंह श्याम,

(85)

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टिकारी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिकारी, पं. क्र. 306, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिकारी, पं. क्र. 306, समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार देय कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(86)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमूल्या

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमूल्या, पं. क्र. 668, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमूल्या, पं. क्र. 668, समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार देय कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा, तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(87)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पांडरवानी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पांडरवानी, पं. क्र. 835, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पांडरवानी, पं. क्र. 835, समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार देय कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा, तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(88)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केसलई

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., केसलई, पं. क्र. 836, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., केसलई, पं. क्र. 836, समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार देय कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा, तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे। यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(89)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विजयपानी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विजयपानी, पं. क्र. 832, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विजयपानी, पं. क्र. 832, समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार देय कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा, तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे। यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(90)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमरिया

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खमरिया, पं. क्र. 785, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खमरिया, पं. क्र. 785, समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार देय कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा, तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(91)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अतरी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अतरी, पं. क्र. 834, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अतरी, पं. क्र. 834, समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार देय कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा, तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(92)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., साल्हेखुर्द

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साल्हेखुर्द, पं. क्र. 431, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साल्हेखुर्द, पं. क्र. 431, समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार देय कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा, तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(93)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुआर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुआर, पं. क्र., को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुआर, पं. क्र., समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, जिला सिवनी में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार देय कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) तथा मान्य नहीं किया जावेगा, तथा संस्था की लेखा पुस्तकें/अंकक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अभिलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे हों, तो उनके विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर अधोहस्ताक्षर द्वारा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी/उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी से अनुमोदन उपरांत किया जावेगा तदुपरांत समिति के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

आर. पी. मेहरा,

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(94)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नलवा, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन

दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

क्र./क्यू./2016.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नलवा, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1331, दिनांक 31 मार्च, 2003 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1072, खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नलवा, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुद्रा से जारी की गई.

(95)

कार्यालय परिसमापक, सनावद महिला प्राथ. उप सह. भंडार मर्यादित, सनवाद, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन

दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

क्र./क्यू./2016.—सनावद महिला प्राथ. उप सह. भण्डार मर्यादित, सनवाद, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1229, दिनांक 28 जुलाई, 1999 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1072, खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक सनावद महिला प्राथ. उप सह. भण्डार मर्यादित, सनवाद, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुद्रा से जारी की गई.

(96)

कार्यालय परिसमापक, नवदुर्गा प्राथ. उप सहकारी भंडार मर्यादित, सनावद, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन

दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

क्र./क्यू./2016.—नवदुर्गा प्राथ. उप सहकारी भंडार मर्यादित, सनावद, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1616,

दिनांक 11 अगस्त, 2011 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1072, खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक नवदुर्गा प्राथ. उप सहकारी भंडार मर्यादित, सनावद, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुद्रा से जारी की गई.

(97)

कार्यालय परिसमापक, नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बिराली, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन

दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

क्र./क्यू./2016.—नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बिराली, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1439, दिनांक 20 अगस्त, 2005 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1072, खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बिराली, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुद्रा से जारी की गई.

एच. सी. यादव,

उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(98)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला अनूपपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर के आदेश के द्वारा मुझे निर्माकित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, डी. के. श्रीवास्तव, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैतहरी एतद्वारा संस्था के समस्त देनदारों, लेनदारों, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित करता हूँ कि वे अपने समस्त दावों को सूचना-पत्र जारी होने की दिनांक से दो माह के अन्दर सप्रमाण लिखित में मेरे समक्ष प्रस्तुत करें :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	आदर्श ग्रामीण प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., वैकटनगर	958/14-05-1999	497/25-10-2012

यदि सूचना जारी होने के दिनांक से दो माह की अवधि के अन्दर कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो उपलब्ध अंकेक्षण टीप के आधार पर देनदारी, लेनदारी का निराकरण कर पंजीयन निरस्तगी हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

डी. के. श्रीवास्तव,

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(47)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परि./2016/1069, खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	माँ नर्मदा मिर्च क्रय-विक्रय व प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., सनावद	1534/21-09-2007
2.	माँ नर्मदा कामगारी, कारीगर सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह	1382/01-07-2004
3.	मेकल कन्या महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बावडीखेडा	1586/08-12-2009
4.	जय अम्बे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., तमोलिया	1599/23-09-2010
5.	नव दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कटघटा	1602/03-11-2010
6.	शिव शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिरलाय	1644/17-05-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक, खरगौन एवं परिसमापक उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(110)

कार्यालय परिसमापक, नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन

दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1330, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 है, को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1317, खरगौन, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता निरीक्षक खरगौन एवं परिसमापक नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

(111)

कार्यालय परिसमापक, प्रियदर्शिनी साख सहकारिता मर्या., बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन

दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

प्रियदर्शिनी साख सहकारिता मर्या., बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1732, दिनांक 10 मार्च, 2014

है को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1327, खरगौन, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता विस्तार अधिकारी बड़वाह एवं परिसमापक प्रियदर्शिनी साख सहकारिता मर्या., बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(112)

कार्यालय परिसमापक, बजरंग साख सहकारिता मर्या., कुण्डिया, पोस्ट ठीबगांव, तहसील गोगावां, जिला खरगौन

दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

बजरंग साख सहकारिता मर्या., कुण्डिया, पोस्ट ठीबगांव, तहसील गोगावां, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1748, दिनांक 10 मार्च, 2004 है को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1327, खरगौन, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता विस्तार अधिकारी गोगावां एवं परिसमापक बजरंग साख सहकारिता मर्या., कुण्डिया, पोस्ट ठीबगांव, तहसील गोगावां, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

मनोहर वास्कले,

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(113)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करती	1499/12-03-2007	66/12-01-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामलापानी, तह. भगवानपुरा	1500/12-03-2007	66/12-01-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढावला, तह. भगवानपुरा, जिला खरगौन.	1520/15-06-2007	66/12-01-2016

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किन्हीं भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बंधित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

कैलाश वास्करले,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(114)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 30 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2016/1418.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्था जिसका पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 नवम्बर, 2016 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा:-

प्रारूप

क्र.	संस्था का नाम	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री लक्ष्मी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन.	खरगौन	39/22-12-2003	1327/13-10-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, स. वि. अ.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,

उप-पंजीयक.

(115)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला सीधी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा आदर्श मांझी मछुआ सहकारी समिति मर्या., रतवार (खड्डी खुर्द), जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1126, दिनांक 13 मई, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक श्री उइके द्वारा अपने पत्र दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 से संस्था के सदस्यों की आमसभा दिनांक 28 नवम्बर, 2016 जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया है, संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशांसा की गई है.

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन उपरान्त मेरी राय में आदर्श मांझी मछुआ सहकारी समिति मर्या., रतवार (खड्डी खुर्द), जिला सीधी का अस्तित्व में बने रहना उसके सदस्यों के हित में आवश्यक है.

अत मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पद्रह-1-सी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए आदर्श मांझी मछुआ सहकारी समिति मर्या., रतवार (खड्डी खुर्द), जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1126, दिनांक 13 मई, 2010 है, को एतद्वारा परिसमापन से मुक्त करता हूँ तथा कार्य संचालन हेतु आगामी तीन माह के लिए संस्था के सदस्यों में से निम्नानुसार संचालक मण्डल नामांकित करता हूँ-

क्र.	नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पदनाम
1.	श्री अमर कुमार केवट	अध्यक्ष	7.	श्री मुकेश केवट	संचालक
2.	श्री मेदनी केवट	उपाध्यक्ष	8.	श्री शंकर केवट	संचालक
3.	श्रीमती रामबाई केवट	उपाध्यक्ष	9.	श्री रामहित केवट	संचालक
4.	श्री गिरजा प्रसाद केवट	संचालक	10.	श्रीमती पार्वती केवट	संचालक
5.	श्री राजू केवट	संचालक	11.	श्रीमती कमली केवट	संचालक
6.	श्री शिवदास केवट	संचालक			

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. सोनकुसरे,
उप-रजिस्ट्रार.

(116)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

दिनांक 10 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा के द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्न संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम	पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	गुप्तेश्वर महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., हरदा	हरदा	5/26-03-2003	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
2.	जागृति महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., हरदा	हरदा	18/19-08-2002	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
3.	जय माँ अम्बे उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., हरदा	हरदा	9/05-06-2002	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
4.	आदर्श उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., कचबेड़ी	बचबेड़ी	25/13-11-2002	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
5.	आदर्श उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., कांकरदा	कांकरदा	26/13-11-2002	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
6.	आदर्श उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., डुमलाय	डुमलाय	31/16-12-2002	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
7.	गरीव नवाज उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., टिमरनी	टिमरनी	33/23-12-2002	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
8.	लक्ष्मी नारायण उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., हरदा	हरदा	34/24-12-2002	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
9.	आदर्श उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., उवां	उवां	37/07-02-2003	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
10.	आदर्श उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., सिराली	सिराली	39/12-06-2003	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
11.	श्री राधा सर्वेश्वर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मगरधा.	मगरधा	41/17-09-2003	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
12.	नारायणी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रन्हाईकला	टिमरनी	44/27-09-2003	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
13.	माँ जयन्ती भण्डारण सहकारी संस्था मर्या., टिमरनी	टिमरनी	79/24-12-2002	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
14.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गोमगांव	गोमगांव	95/03-09-2003	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.

1	2	3	4	5
15.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हण्डिया	हण्डिया	2236/19-10-1983	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
16.	कृषक साग-सब्जी एवं फल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अबगांवकला.	अबगांवकला	2539/30-03-1996	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
17.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अबगांवकला	अबगांवकला	2219/10-10-1983	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
18.	तवा उदवहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., झाड़बीड़ा	झाड़बीड़ा	64/06-08-2002	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.
19.	श्री साई महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., रिजगांव	रिजगांव	161/17-08-2009	श्री शमसुल हक, व. सह. निरी.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

शमसुल हक,

(117) परिणामापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल

बैतूल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2016/1371.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/616, दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुकरू, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1668, दिनांक 30 जनवरी, 2012 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के परिसमापक श्री सी. एल. डोंगरे, स. नि. द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के लेनदारी-देनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतएव मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुकरू, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1668, दिनांक 30 जनवरी, 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(118)

बैतूल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2016/1372.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/616, दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा हरिजन मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., खामला, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1252, दिनांक 27 जुलाई, 1991 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के परिसमापक श्री सी. एल. डोंगरे, स. नि. द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के लेनदारी-देनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहले का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतएव मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था हरिजन मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., खामला, जिला बैतूल पंजीयन क्रमांक 1252, दिनांक 27 जुलाई, 1991 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अशोक कुमार शुक्ला,

उप-पंजीयक.

(119)

कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1528, जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा श्री नरसिंह ग्रामीण खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1751 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एन. सी. सोनी, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत श्री नरसिंह ग्रामीण खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1751 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाया के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ओ. पी. गुप्ता,

उप-पंजीयक.

(120)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 11 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरबड़ा	200/07-09-1981	187/22-09-2015
2.	रेदास चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., आवर	378/01-09-1986	187/22-09-2015

अतः मैं, मोहम्मद आरिफ खान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता,

जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/ आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(121)

मोहम्मद आरिफ खान,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/69.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लाडोन	05/29-03-2014	1569/26-10-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामली	28/15-01-2015	1502/03-10-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनोरा	11/21-10-2014	1570/26-10-2016
4.	महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मीखेडा	22/17-12-2014	1501/03-10-2016

अतः मैं, एल. एस. ठाकुर, परिसमापक एवं अंकक्षण अधिकारी, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/ आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(122)

एल. एस. ठाकुर,
परिसमापक एवं अंकक्षण अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सह. निरी., सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	अन्नपूर्णा शीत गृह उद्योग सह. संस्था, ग्वालियर	26/10-06-1997	961/21-03-2016
2.	शिक्षक कांग्रेस गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., ग्वालियर	130/10-12-1986	1945/19-10-2015
3.	उदय बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	25/13-01-1989	1087/30-03-2016

1	2	3	4
4.	चंबल क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	406/29-04-2008	1013/29-03-2016
5.	महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., गड़ी पिछोर	142/18-06-2004	1069/30-03-2016
6.	पंचमहल महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., सिरसूला	306/25-05-2002	1012/29-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

डी. डी. बरसैयाँ,

परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

(123)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

जय बालाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पुरानी छावनी.

जय बालाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पुरानी छावनी, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./991, दिनांक 30 जुलाई, 2010 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(124)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

वीरांगना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., वीरपुर.

वीरांगना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., वीरपुर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./955, दिनांक 17 जून, 2004 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(125)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

माँ वैष्णोदेवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिकरीजागीर.

माँ वैष्णोदेवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिकरीजागीर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./948, दिनांक 06 जनवरी, 2004 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।

5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(126)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

जय कालिका महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सुसैरा.

जय कालिका महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सुसैरा, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./945, दिनांक 05 दिसम्बर, 2004 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निधिरित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(127)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

पीताम्बरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चिनौर.

पीताम्बरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चिनौर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./877,

दिनांक 14 सितम्बर, 1998 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(128)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,
तानसेन महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बैहट.

तानसेन महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बैहट, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./367, दिनांक 31 जनवरी, 2004 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(129)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,
सर्वहितकारी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिगौरा.

सर्वहितकारी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिगौरा, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./946, दिनांक 22 मई, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(130)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,
तथागत साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

तथागत साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./984, दिनांक 13 मार्च, 2009 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निधिरित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(131)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सालवई.

दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सालवई, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./88, दिनांक 10 दिसम्बर, 1998 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(132)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भेलाखुर्द.

क्र./परि./2017/46.—पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भेलाखुर्द, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./965, दिनांक 20 जुलाई, 2004 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।

2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निधिरित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(133)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,
ग्वालियर मोटर वाहन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

ग्वालियर मोटर वाहन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./488, दिनांक 05 दिसम्बर, 1988 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निधिरित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(134)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

भारतीय वस्त्र डिजाईनिंग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

भारतीय वस्त्र डिजाईनिंग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./316, दिनांक 25 अक्टूबर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निधिरित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(135)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

धातु उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

धातु उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./406, दिनांक 18 जून, 1956 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए

जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निधिरित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(136)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,
रंगाई-छपाई सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

रंगाई-छपाई सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./226, दिनांक 05 नवम्बर, 1966 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(137)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,
संत रविदास क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

संत रविदास क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./892, दिनांक 15 जून, 2006 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.

3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(138)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

जय माँ वैष्णो बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डबरा।

जय माँ वैष्णो बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डबरा, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./417, दिनांक 22 मार्च, 2012 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(139)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,
मत्स्यों उद्योग सहकारी संस्था मर्या., तिघरा.

मत्स्यों उद्योग सहकारी संस्था मर्या., तिघरा, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./457, दिनांक 28 अगस्त, 1987 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(140)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,
बालक बाबा मोगीया खनिज सहकारी संस्था मर्या., जौरासी।

बालक बाबा मोगीया खनिज सहकारी संस्था मर्या., जौरासी, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./....., दिनांक.....है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(141)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मसूदपुर.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मसूदपुर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./661, दिनांक 30 सितम्बर, 1991 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(142)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

शिव बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

शिव बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./360, दिनांक 27 जून, 1977 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।

2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(143)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./356, दिनांक 21 जनवरी, 1960 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(144)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
साबुन निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

साबुन निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./423, दिनांक 27 अगस्त, 1984 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(145)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
काष्ठ शिल्प लेखन सामग्री सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

काष्ठ शिल्प लेखन सामग्री सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./113, दिनांक 04 जून, 1954 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए

जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(146)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

सर्वोदय मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., तिघरा.

सर्वोदय मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., तिघरा, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./62, दिनांक 27 जनवरी, 1969 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(147)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

ग्वालियर लेदर शू मेकर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

ग्वालियर लेदर शू मेकर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./4, दिनांक 08 अक्टूबर, 1959 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.

3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(148)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./184, दिनांक 13 जुलाई, 1996 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(149)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

मैथलीशरण गुप्त गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

मैथलीशरण गुप्त गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./461, दिनांक 20 जुलाई, 1990 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(150)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

पाण्डव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

पाण्डव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./320, दिनांक 05 दिसम्बर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(151)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

गुरु कृपा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

गुरु कृपा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./307, दिनांक 03 जून, 2002 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(152)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

जिनेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

जिनेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./277, दिनांक 30 जून, 2002 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।

3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(153)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
सुन्दरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर।

सुन्दरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./23, दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(154)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जीवन ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

जीवन ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./38, दिनांक 04 अगस्त, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(155)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
बांके बिहारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

बांके बिहारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./355, दिनांक 09 सितम्बर, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं,

तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निधिरित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(156)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

बड़ागांव महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ागांव.

बड़ागांव महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ागांव, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./956, दिनांक 26 जून, 2004 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(157)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

देवी अहिल्या सेविंग साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

देवी अहिल्या सेविंग साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./89, दिनांक 21 अक्टूबर, 1999 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।

5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(158)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

दि वैभव सेविंग साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

दि वैभव सेविंग साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./655, दिनांक 13 दिसम्बर, 1993 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(159)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

रानी दुर्गावती महिला साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

रानी दुर्गावती महिला साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./870,

दिनांक 15 जुलाई, 1997 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(160)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
संस्कृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

संस्कृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./357, दिनांक 24 सितम्बर, 2003 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(161)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
शीतला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

शीतला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./384, दिनांक 23 सितम्बर, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(162)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./348, दिनांक 28 जून, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में संचालकों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निधिरित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(163)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
आकृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

आकृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./337, दिनांक 24 मार्च, 2003 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(164)

ग्वालियर, दिनांक 11 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जय भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2017/80.-जय भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./324, दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।

2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(165)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

नवीन तृतीय श्रेणी न्यायिक कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

नवीन तृतीय श्रेणी न्यायिक कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./....., दिनांक..... है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जय भैरवानाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

जय भैरवानाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./375, दिनांक 12 फरवरी, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(167)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
ग्वालियर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

ग्वालियर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./20, दिनांक 04 जनवरी, 1959 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(168)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

ग्वालियर गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

ग्वालियर गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./173, दिनांक 30 मार्च, 1990 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(169)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

बालकिशन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

बालकिशन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./333, दिनांक 04 फरवरी, 2003 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।

2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(170)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
श्रमिक सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

श्रमिक सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./88, दिनांक 19 दिसम्बर, 1992 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(171)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
रामकृष्ण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

रामकृष्ण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./95, दिनांक 25 नवम्बर, 1981 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(172)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
स्यादवाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

स्यादवाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./225, दिनांक 23 मार्च, 1995 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(173)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,

पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भेलाखुर्द.

पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भेलाखुर्द, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./965, दिनांक 20 जुलाई, 2004 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(174)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

वीर सुभाष विद्युत यंत्र रिपेरिंग उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

वीर सुभाष विद्युत यंत्र रिपेरिंग उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./631, दिनांक 03 मई, 1994 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।

2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(175)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
पीताम्बरा पेंट सहकारी संस्था मर्या, ग्वालियर।

पीताम्बरा पेंट सहकारी संस्था मर्या, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./53, दिनांक 16 जनवरी, 1990 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

सी. पी. एस. भदौरिया,
उप-पंजीयक।

(176)

कार्यालय परिसमापक हमिदा डिपाटमेन्टल सहकारी स्टोर्स लिमिटेड, बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

हमिदा डिपाटमेन्टल सहकारी स्टोर्स लिमिटेड, बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1823, दिनांक 05 फरवरी, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 540, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(180)

कार्यालय परिसमापक के.जी.एन. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

के.जी.एन. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1823, दिनांक 05 फरवरी, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 540, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(181)

कार्यालय परिसमापक कृष्णा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

कृष्णा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1928, दिनांक 25 सितम्बर, 2004 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 541, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(182)

कार्यालय परिसमापक माँ रेणुका महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ रेणुका महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2084, दिनांक 31 जनवरी, 2008 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 539, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(183)

कार्यालय परिसमापक यशश्री क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

यशश्री क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 66, दिनांक 12 फरवरी, 2004, 89/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 455, दिनांक 20 अगस्त, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(184)

कार्यालय परिसमापक प्रकाश पावरलुम एण्ड क्ल्वाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

परिसमापक प्रकाश पावरलुम एण्ड क्ल्वाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 23 जुलाई, 2003, 74/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 455, दिनांक 20 अगस्त, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(185)

कार्यालय परिसमापक पटेल पावरलुम एण्ड क्लाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

पटेल पावरलुम एण्ड क्लाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 59, दिनांक 23 अक्टूबर, 2003, 84/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 455, दिनांक 20 अगस्त, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(186)

कार्यालय परिसमापक सालासर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सालासर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 30 मार्च, 2013 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 385, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(187)

कार्यालय परिसमापक सुरभी पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सुरभी पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 05 अप्रैल, 2004, 57/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 455, दिनांक 20 अगस्त, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(188)

कार्यालय परिसमापक अनमोल पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

अनमोल पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1726, दिनांक 12 अगस्त, 1999 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 383, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(189)

कार्यालय परिसमापक जय भारत फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., पातोंडा

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

जय भारत फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., पातोंडा, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2076, दिनांक 12 नवम्बर, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 394, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(190)

कार्यालय परिसमापक शारदा ऑफसेट मुद्रण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

शारदा ऑफसेट मुद्रण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 17, दिनांक 18 अक्टूबर, 2001, 55/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 394, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(191)

सी. एस. जूनागडे,
परिसमापक व सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक मंगलम पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

मंगलम पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 88, दिनांक 18 अक्टूबर, 2005, 105/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 786, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(192)

कार्यालय परिसमापक माँ भगवती पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ भगवती पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 55, दिनांक 01 अक्टूबर, 2003, 80/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 786, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(193)

कार्यालय परिसमापक शमा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

शमा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1895, दिनांक 06 नवम्बर, 2003 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 359, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(194)

कार्यालय परिसमापक माँ भगवती क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ भगवती क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2085, दिनांक 14 फरवरी, 2008 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 362, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(195)

कार्यालय परिसमापक जय गजानंद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., खकनार

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

जय गजानंद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., खकनार, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1821, दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 363, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(196)

कार्यालय परिसमापक अवंतिका रस्सी निर्माण औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

अवंतिका रस्सी निर्माण औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1817, दिनांक 28 फरवरी, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 392, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(197)

कार्यालय परिसमापक सर्वोदय सिन्थेटिक प्रोसेसिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सर्वोदय सिन्थेटिक प्रोसेसिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1771, दिनांक 02 अगस्त, 2000 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 66, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ललीत भावसार,

परिसमापक व सहकारी निरीक्षक.

(198)

कार्यालय परिसमापक साईकृपा पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

साईकृपा पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1781, दिनांक 09 अगस्त, 2000 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 655, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(199)

कार्यालय परिसमापक माँ नवदुर्गा कामगार, कारीगर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ नवदुर्गा कामगार, कारीगर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1794, दिनांक 28 अगस्त, 2000 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 600, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(200)

कार्यालय परिसमापक उमा पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

उमा पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 21, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 570, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(201)

कार्यालय परिसमापक प्रसंसा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नेपालगर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

प्रसंसा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नेपालगर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1646, दिनांक 08 जुलाई, 1997 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 556, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(202)

कार्यालय परिसमापक पुष्पा पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

पुष्पा पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1748, दिनांक 07 फरवरी, 2000 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 650, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(203)

कार्यालय परिसमापक के.जी.एन. बेकरी एण्ड फुड प्रोडक्ट सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

के.जी.एन. बेकरी एण्ड फुड प्रोडक्ट सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1985, दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 582, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(204)

कार्यालय परिसमापक मित्र मंडल मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., रमई

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

मित्र मंडल मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., रमई, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 22, दिनांक 24 जनवरी, 2013 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 574, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(205)

कार्यालय परिसमापक ज्योति पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

ज्योति पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1939, दिनांक 13 सितम्बर, 2005 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 569, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(206)

कार्यालय परिसमापक महाराजा पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महाराजा पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1856, दिनांक 28 मई, 2002 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 567, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(207)

कार्यालय परिसमापक ग्रेट इंडिया पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

ग्रेट इंडिया पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1809, दिनांक 15 फरवरी, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 657, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(208)

कार्यालय परिसमापक हर्ष पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

हर्ष पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1903, दिनांक 16 फरवरी, 2004 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 660, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(209)

चंद्रेश पटेल,
परिसमापक व सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., निम्बोला

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., निम्बोला, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2026, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 611, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(210)

कार्यालय परिसमापक भगवान महावीर एगो सर्विस सहकारी समिति मर्या., शाहपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

भगवान महावीर एगो सर्विस सहकारी समिति मर्या., शाहपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2101, दिनांक 27 जून, 2008 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 587, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(211)

कार्यालय परिसमापक कावेरी हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

कावेरी हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 24, दिनांक 05 मार्च, 2002, 26/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 66, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(212)

कार्यालय परिसमापक सत्यम स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सत्यम स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 93, दिनांक 03 जनवरी, 2006, 107/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 66, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(213)

कार्यालय परिसमापक शिव शक्ति फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., दवाटिया

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

शिव शक्ति फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., दवाटिया, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2015, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 66, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(214)

कार्यालय परिसमापक चामुंडादेवी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., धूलकोट

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

चामुंडादेवी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., धूलकोट, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2062, दिनांक 04 अगस्त, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 66, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(215)

कार्यालय परिसमापक योगेश्वर फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., सांडसकला

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

योगेश्वर फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., सांडसकला, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2061, दिनांक 04 अगस्त, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 66, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(216)

कार्यालय परिसमापक फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., निम्बोला

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., निम्बोला, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2026, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 66, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(217)

कार्यालय परिसमापक जय योगेश्वर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

जय योगेश्वर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1824, दिनांक 05 मार्च, 2004 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 659, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(218)

कार्यालय परिसमापक ओम श्री महाकाल पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

ओम श्री महाकाल पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 69, दिनांक 30 जून, 2004, 91/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 468, दिनांक 28 मई, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(219)

कार्यालय परिसमापक न्यु कोहेनूर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

न्यु कोहेनूर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 54, दिनांक 04 सितम्बर, 2003, 79/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 468, दिनांक 28 मई, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(220)

कार्यालय परिसमापक फाईव स्टॉर क्ल्वाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

फाईव स्टॉर क्ल्वाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 81, दिनांक 17 मार्च, 2005, 101/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 468, दिनांक 28 मई, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(221)

कार्यालय परिसमापक मनिषा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रायगांव

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

मनिषा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रायगांव, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1899, दिनांक 05 फरवरी, 2004 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 621, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(222)

कार्यालय परिसमापक नौरीन पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

नौरीन पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 37, दिनांक 03 अप्रैल, 2003, 65/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 468, दिनांक 28 मई, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(223)

कार्यालय परिसमापक श्री माँ हर्षसिद्धी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., दवाटीया

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्री माँ हर्षसिद्धी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., दवाटीया, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1932, दिनांक 27 नवम्बर, 2004 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 620, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(224)

कार्यालय परिसमापक प्रसून महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बोरगांवखुर्द

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

प्रसून महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बोरगांवखुर्द, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1857, दिनांक 01 अप्रैल, 2002 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 619, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(225)

कार्यालय परिसमापक श्री माँ भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चिंचाला

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्री माँ भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चिंचाला, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1924, दिनांक 28 अप्रैल, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 617, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(226)

कार्यालय परिसमापक श्री ईच्छा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., इच्छावर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्री ईच्छा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., इच्छावर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1918, दिनांक 31 मई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 616, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(227)

कार्यालय परिसमापक प्रेरणा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैनाबाद

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

प्रेरणा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैनाबाद, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1886, दिनांक 18 मार्च, 2002 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 615, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(228)

कार्यालय परिसमापक फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्या., डाभियाखेडा

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्या., डाभियाखेडा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1216, दिनांक 09 अक्टूबर, 1980 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 559, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(229)

कार्यालय परिसमापक भारत महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शाहपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

भारत महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शाहपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1690, दिनांक 31 मार्च, 1999 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 547, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(230)

कार्यालय परिसमापक आलीया महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

आलीया महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1954, दिनांक 02 जनवरी, 2006 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 542, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

पी. एस. सोनवणे,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(231)

कार्यालय परिसमापक लक्ष्मी नारायण क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

लक्ष्मी नारायण क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1896, दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 592, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(232)

कार्यालय परिसमापक माँ वैष्णवी साख सहकारी समिति मर्या., फोपनार

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ वैष्णवी साख सहकारी समिति मर्या., फोपनार, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1909, दिनांक 22 मार्च, 2004 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 593, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(233)

कार्यालय परिसमापक जय माता दी साख सहकारी समिति मर्या., बहादरपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

जय माता दी साख सहकारी समिति मर्या., बहादरपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1979, दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 594, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234)

कार्यालय परिसमापक धनश्री साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

धनश्री साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1851, दिनांक 01 अप्रैल, 2002 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 591, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235)

एस. एन. टाले,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 03 फरवरी, 2017-माघ 14, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.--राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील त्योंथर, मऊगंज (रीवा), सोहागपुर (शहडोल), जैतहरी (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), गोपदबनास, मझोली, कुसमी, चुरहट (सीधी), सुबासराटप्पा, भानपुरा (मंदसौर), मनासा (नीमच), गुलाना (शाजापुर), सोंडवा (अलीराजपुर), धरमपुरी (धार), बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), राजगढ़ (राजगढ़), नसरुल्लागंज (सीहोर), होशंगाबाद, पचमढी (होशंगाबाद), हरदा, टिमरनी (हरदा), सीहोरा, मंझोली, कुण्डम (जबलपुर), नरसिंहपुर (नरसिंहपुर), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, सोंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चांद, चौरई, बिछुआ, हर्ई, उमरेठ, (छिन्दवाड़ा), लखनादौन, बरघाट, कुरई, घन्सौर, घनोरा, छपारा (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील अजयगढ़ (पन्ना), गुढ़ (रीवा), जैसिंहनगर (शहडोल), श्यामपुर (सीहोर), करेली (नरसिंहपुर), सिवनी (सिवनी), खैरलांजी, बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- तहसील लवकुशनगर (छतरपुर), सिरमौर, हनुमना, हुजूर, रायपुरकचुंलियान (रीवा), गौहपारू, जैतपुर (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), सीहोर (सीहोर), बालाघाट, बिरसा, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.- तहसील बुढ़ार (शहडोल), अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), सिंहावल (सीधी), लांजी, वारासिवनी, किरनापुर, लालबर्वा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, सतना, रीवा, सीधी, शाजापुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर में जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.- जिला ग्वालियर, छतरपुर, कटनी, नरसिंहपुर में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. फसल स्थिति-
5. कटाई.- जिला होशंगाबाद में फसल मूंग व सीधी में फसल कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, शहडोल, नीमच, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, मूंग, मक्का, सोयाबीन सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेंहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, मूंगफली, तिल, उड़द, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) धान, ज्वार, मूंग, उर्दा, मूंगफली, तिल, अरहर- समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	45.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	26.9		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, अरहर, उड़द, ज्वार, मूंग, मक्का, गन्ना, मूंगफली, तिल सुधरी हुई. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	. .				
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन कम. धान, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, अरहर समान. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .				
2. मझगावां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, मूंग अधिक. धान, सोयाबीन कम. तुअर, ज्वार समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंधर	5.0				
2. सिरमौर	42.2				
3. मऊगंज	3.2				
4. हनुमना	38.3				
5. हजूर	44.4				
6. गुढ़	33.8				
7. रायपुरकचुलियान	45.0				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, को.-कू., तुअर, तिल, उड़द अधिक. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	13.0				
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	34.0				
4. गोहपारू	35.0				
5. जैतपुर	48.0				
6. बुढ़ार	67.1				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोया., तुअर, तिल, कोदों-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	7.6				
2. अनूपपुर	94.6				
3. कोतमा	92.2				
4. पुष्पराजगढ़	36.8				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, ज्वार अधिक. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	9.1				
2. पाली	10.0				
3. मानपुर	40.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई व कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	8.2				
2. सिंहावल	77.2				
3. मझौली	10.6				
4. कुसमी	16.0				
5. चुरहट	8.3				
6. रामपुरनैकिन	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	1.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद;	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	15.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) मक्का, उड़द, तिल, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		मूंगफली, मूंग अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	1.0		धान कम. ज्वार समान.		
			(2) ..		
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बाजना	..				
5. पिपलोदा	..				
6. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		उड़द, मूंग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	3.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग अधिक. सोयाबीन, कपास कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .				
2. टोंकखुर्द	. .				
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, सोयाबीन, उड़द, कपास, मूंगफली, तुअर समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	. .				
2. मेघनगर	. .				
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. जोवट	. .				
2. अलीराजपुर	. .				
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	3.0				
5. उदयगढ़	. .				
6. च. शेखर आ. नगर	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, गन्ना अधिक. सोयाबीन, मक्का कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .				
2. सरदारपुर	. .				
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	6.0				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .				
2. सांवेर	. .				
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, रई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूंगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .				
2. महेश्वर	. .				
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..			4. (1) गन्ना, मक्का, ज्वार, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. ठीकरी	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राजपुर	..					
4. सेंधवा	..					
5. पानसेमल	..					
6. पाटी	..					
7. निवाली	..					
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..			(2) ..		
3. हरसूद	..					
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	3.5			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..			(2) ..		
3. नेपानगर	4.0					
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..			4. (1) ..	6. ..	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..			(2) ..		
3. राजगढ़	1.0					
4. ब्यावरा	..					
5. सारंगपुर	..					
6. पचौर	..					
7. नरसिंहगढ़	..					
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..			(2) ..		
3. कुरवाई	..					
4. बासोदा	..					
5. नटेरन	..					
6. विदिशा	..					
7. गुलाबगंज	..					
8. ग्यारसपुर	..					
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..			(2) ..		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	36.0			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	18.0			(2) ..		
3. आष्टा	..					
4. जावरा	..					
5. इछावर	..					
6. नसरुल्लागंज	1.0					
7. रेहटी	..					
8. बुधनी	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, तिल अधिक. मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. भैंसेदेही	..		4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. फसल मूंग की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) गन्ना, मूंगमोठ, उड़द, तुअर, तिल, मूंगफली.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	0.2		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढी	4.8				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	3.1		4. (1) सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	8.4				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	8.0		4. (1) धान, तुअर, मक्का, कोदों-कुटकी अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	2.4				
5. कुण्डम	9.3				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाड़खारा	..				
2. करेली	32.0				
3. नरसिंहपुर	2.0				
4. गोटेगांव	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. *जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
48. *जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	0.6				
2. जुन्नारदेव	2.2				
3. परासिया	..				
4. तामिया	..				
5. सोंसर	1.0				
6. पांढरणा	5.9				
7. अमरवाड़ा	4.2				
8. चौरई	5.0				
9. चाँद	8.2				
10. बिछुआ	8.2				
11. हरई	4.2				
12. उमरेठ	1.8				
13. मोहखेड़ा	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, को-कु, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	17.80				
2. केवलारी	..				
3. लखनादोन	5.0				
4. बरघाट	8.30				
5. उरई	17.0				
6. घंसोर	2.0				
7. घनोरा	1.10				
8. छपारा	1.30				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	50.4				
2. लाँजी	63.4				
3. बैहर	32.0				
4. वारासिवनी	65.1				
5. कटंगी	7.6				
6. किरनापुर	100.2				
7. खैरलाँजी	33.0				
8. लालबर्वा	80.0				
9. बिरसा	46.5				
10. परसवाड़ा	49.4				

टीप.-*जिला गुना, सिंगरौली, खण्डवा, मण्डला, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.